أركان الإسلام والإيمان - هندي

इस्लाम और ईमान के स्तम्भ

क़ुरआन व सुन्नत से संकलित



شعبة توعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠٦ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠٦ ص.ب: ١٨٢

इस्लाम और ईमान के स्तम्भ

क़ुरआन व सुन्नत से संकलित

लेखक

मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

अनुवाद

रज़ाउर्रहमान अन्सारी

संशोधन एवं वृद्धि

मुहम्मद ताहिर हनीफ़

संघीय कार्यालय आमन्त्रण व प्रदर्शक

हौता बनी तमीम

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم ، ١٤٢٠هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
زينو ، محمد بن جميل
أركان الإسلام والإيمان - حوطة بني تميم
١٤٦ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك : ٧ - ٢ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠
(النص باللغة الهندية)
١- العبادات فقه إسلامي ٢- الإيمان (الإسلام)
٣- الإسلام - مبادئ عامة أ- العنوان
ديوي ٢٥٢ ٢٠/١٧٤١

رقم الايداع ٢٠/١٧٤١
ردمك : ٧ - ٢ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠

संघीय कार्यालय आमन्त्रण व प्रदर्शक
हौता बनी तमीम

पो॰ बक्स २६१, हौता बनी तमीम ११९४१
दूरभाष : ०१\५५५०५३३
फैक्स : ०१\५५५२७४५

अनुबन्धित
मंत्रिमण्डल इस्लामिक विषय, औकाफ
एवं आमन्त्रण व निर्देश

विषय सूची

بسم الله الرحمن الرحيم

इस्लाम के अरकान

जिस तरह किसी भी इमारत को क़ायम रखने के लिए बुनियादों और स्तंभों की आवश्यकता होती है ऐसे ही इस्लाम के कुछ स्तंभ और बुनियादें हैं जिस पर इस्लाम की इमारत क़ायम है। इन को इस्लाम के अरकान का नाम दिया जाता है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है।

१. **गवाही देना कि** : अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जिनकी अल्लाह के दीन में पैरवी करना ज़रूरी है।

२. **नमाज़ क़ायम करना** : यानी उसे सभी अरकान और वाजिबात के साथ ख़ुशूअ् व ख़ुज़ूअ् (तन्मयता) से अदा करना।

३. **ज़कात देना** : जो उस समय फ़र्ज़ होती है जब कोई ८७ ग्राम सोना या उसके मूल्य की किसी चीज़ का या नकदी का मालिक हो जाये। इस में से साल पूरा होने के बाद २.५ प्रतिशत निकालना ज़रूरी है। और नकदी के अलावा हर चीज़ में उसकी मात्रा तय है।

४. **अल्लाह के घर का हज करना** : उस व्यक्ति के लिए जो सेहत और आर्थिक दृष्टि से वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखता हो।

५. **रमज़ान के रोज़े रखना** : रोज़े की नीयत से खाने पीने और हर चीज़ से जो रोज़ा तोड़ने वाली हो फ़ज्र से लेकर सूर्योदय तक बचे रहना। (बुख़ारी, मुस्लिम)

ईमान के अरकान

जिन चीज़ों पर प्रत्येक मुसलमान के लिए ईमान लाना फर्ज और ज़रूरी है। उन्हें ईमान के अरकान के नाम से जाना जाता है, जो निम्न हैं।

१. **अल्लाह तआला पर ईमान लाना** : यानी अल्लाह के अस्तित्व, और विशेषतायें और इबादत में उसकी वहदानियत (अकेला) होने पर ईमान लाना।

२. **फ़रिश्तों पर ईमान लाना** : जो कि नूरी मख़लूक हैं और अल्लाह के आदेशों को लागू करने के लिए पैदा किये गये हैं।

३. **अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना** : जिनमें तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआन करीम जो सबसे श्रेष्ठ है।

४. **उसके रसूलों पर ईमान लाना** : जिनमें सबसे पहले नूह और सबसे अन्तिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।

५. **आख़िरत के दिन पर ईमान लाना** : जो हिसाब का दिन है और उसी दिन लोगों के कर्मों की पूछ गछ होगी।

६. **प्रत्येक अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान रखना** : यानी जायज़ स्रोत से प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे या बुरे भाग्य पर राज़ी रहना चाहिये। क्योंकि सभी अल्लाह की ओर से तय किये हुए है जैसाकि सही मुस्लिम की हदीस में इस बात को स्पष्ट किया गया है।

इस्लाम, ईमान और एहसान का अर्थ

इस्लाम, ईमान और एहसान का स्पष्टीकरण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है।

हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है, फ़रमाते हैं:

एक दिन जबकि हम अल्लाहे के रसूल सल्ल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उजले सफेद कपड़ों और काले सियाह बालों वाला एक व्यक्ति आया जिस पर यात्रा करने के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। और न ही हम में से कोई उसे जानता था। वह आगे बढ़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाने इस तरह बैठा कि उसने अपने घुटने उनके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख लिए, फिर कहा: ऐ मुहम्मद, मुझे बताइये, इस्लाम क्या है ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर (बैतुल्लाह) का हज कर। उसने कहा : आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सही फ़रमाया।

(हज़रत उमर रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं) हम आश्चर्य चकित थे कि यह कैसा आदमी है जो सवाल करके खुद ही उसका समर्थन कर रहा है।

फिर उसने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : (ईमान का अर्थ) यह है कि तू अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों,

आख़िरत के दिन (क़ियामत का दिन) और हर अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान लाये उसने कहा : आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सही फ़रमाया। फिर उसने कहा : मुझे बताईये कि एहसान क्या है ? आपने फ़रमाया : एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर जैसे तू उसे देख रहा हो लेकिन यदि तू उसे देखने की कल्पना न पैदा कर सके तो फिर यह सोच कि अल्लाह तआला तुझे देख रहा है।

उसने कहा : मुझे क़ियामत के बारे में बताईये कि कब आयेगी ?

आप ने फ़रमाया उसके बारे में जिससे पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से अधिक नहीं जानता। (यानी उसके बारे में मुझे तुम से अधिक ज्ञान नहीं) उसने कहा : तो फिर मुझे उसकी अलामतें बताईये। आपने फ़रमाया : उसकी अलामत यह है कि लौंडी अपने आक़ा को जन्म दे और तुम देखोगे कि बकरियों के चरवाहे जो नंगे पांव, नंगा शरीर और मोहताज हैं (इतने धनवान हो जायेंगे) एक दूसर से बढ़कर बुलन्द इमारतें बनाने में मुक़ाबला करेंगे।

फिर उसके चले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ऐ उमर, जानते हो यह पूछने वाला कौन था ? तो मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, वह जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे। (मुस्लिम)

लाइलाह इल्लल्लाह का अर्थ

१. इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं। इसमें अल्लाह के अतिरिक्त की बन्दगी को नकारा गया है। और उसे केवल अल्लाह जो अकेला है और जिसका कोई साझी नहीं के लिए साबित किया गया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> "अत: जान लो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।" (सूरह मुहम्मद)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> जिस व्यक्ति ने ख़ुलूस दिल से ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया वह जन्नत में दाख़िल होगा। (इस हदीस को बज़्ज़ार ने रिवायत किया और अलबानी ने उसे अलजामेअ में सही क़रार दिया है।

मुख़्लिस कौन है ?

२. "मुख़्लिस" वह है जो इस कलिमा को समझ-बूझ कर उस पर अमल करे और इस तौहीद के कलमे से अपनी दावत की शुरूआत करे। क्योंकि यह कलिमा ऐसे तौहीद पर आधारित है जिसके लिए अल्लाह तआला ने जिनों और इंसानों को पैदा किया।

३. और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का देहान्त हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया : चचाजान (आप ला इलाह इल्लल्लाह) कह दीजिए। इस कलिमा के आधार पर मैं आप के लिए अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करूंगा। लेकिन उन्होंने (ला इलाह इल्लल्लाह) कहने से इंकार कर दिया।

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में १३ वर्ष तक मुश्रिकों को यही दावत देते रहे कि (ला इलाह इल्लल्लाह) कह दो, तो उनका जवाब जैसाकि क़ुरआन में आया है, यह था कि :

"और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्ही में से एक डराने वाला कैसे आ गया ? और काफिरों ने कहा यह तो झूठा जादूगर है। कैसे उसने सब माबूदों को छोड़कर एक ही माबूद बना लिया ? यह तो बहुत ही अजीब बात है। तो उनमें से जो प्रतिष्ठित लोग थे वे चल खड़े हुए, चलो अपने माबूदों की पूजा पर क़ायम रहो। निःसन्देह यह ऐसी बात है जिससे (तुम बाइज़्ज़त और प्रतिष्ठित) हो। यह पिछले धर्म में हमने कभी नहीं सुनी।" (सूरह स्वाद)

और अरबों में यह बात इसलिए कही कि वे इस कलिमा का अर्थ समझते थे और इसलिए उन्होंने यह कलिमा पढ़ने से इंकार किया कि यह कलिमा पढ़ने वाला ग़ैर अल्लाह को नहीं पुकारा करता। जैसाकि अल्लाह तआला उनके बारे में कहता है।

"इन (काफिरों) से जब ला इलाह इल्लल्लाह कहा जाता तो घमण्ड करते और कहते कि यह कैसे हो सकता है कि हम उस पागल शायर (कवि) की बात मानकर अपने माबूदों को छोड़ दें। (अल्लाह तआला ने जवाब दिया :) बल्कि वह रसूल तो हक़ लेकर आये हैं और रसूलों का समर्थन करने वाले हैं।" (सूरह साफ़्फ़ात)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने फ़रमाया :

"जिसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया और हर उस चीज़ का इंकार किया जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती

है तो ऐसा करने से उसकी जान और माल हराम हो गई और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।" (मुस्लिम)

इस हदीस से मालूम हुआ कि शहादत का सूत्र पढ़ने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग़ैर अल्लाह की इबादत से बचा और इंकार किया जाये जैसाकि मरे हुए लोगों से दुआ करने जैसे कर्म है।

और अजीब बात यह है कि कुछ मुसलमान अपनी ज़ुबान से यह कलिमा पढ़ते हैं लेकिन उनके अमल ग़ैर अल्लाह को पुकार कर उसके अर्थ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हैं।

५. 'ला इलाह इल्लल्लाह' वह कलिमा है जो तौहीद और इस्लाम की बुनियाद और सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसे हर प्रकार की इबादत अल्लाह ही के लिए विशेष करने से अपनाया जा सकता है। और यह उस समय संभव है जब कोई मुसलमान अल्लाह के लिए फ़रमांबरदार हो जाये और केवल उसको ही पुकारे और उसकी शरीयत (क़ानून) की हाकमियत स्वीकार करे।

६. अल्लामा इब्ने रजब 'इलाह' का अर्थ बयान करते हुए फ़रमाते है : 'इलाह' (माबूद) वह है जिसकी पैरवी, उसका भय, उसकी प्रतिष्ठा, उससे प्रेम और उसी से आशा, उसी पर संतोष, उसी से सवाल और दुआ करते हुए की जाये, और अवज्ञा से बचा जाये। और ये सभी वे चीज़ें है जो अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए करना जायज नहीं। जिस किसी ने भी 'इलाह' के इन विशेषताओं में किसी सृष्टि को साझी बना लिया तो यह अमल इस बात की दलील है कि उसने 'ला इलाह इल्लल्लाह' मन से नहीं कहा। और जितनी उसमें शिर्क की ऐसी आदत होगी उतना ही वह मख़लूक की इबादत में फंसा होगा।

७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

अपने मरने वालों को 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़ने का आग्रह किया करो क्योंकि (दुनिया से विदा होते हुए) जिसकी अन्तिम बोली 'ला इलाह इल्लल्लाह' होगी, वह कभी न कभी जन्नत में अवश्य दाख़िल होगा । चाहे उससे पहले जो लिखा अज़ाब उसे भुगतना पड़े ।(इसे इब्ने हिब्बान ने उल्लेख किया है और अलबानी ने इसे सही क़रार दिया है) और कलिमा शहादत की ताकीद करने से अभिप्राय केवल मरने वाले के पास कलिमा पढ़ना ही नहीं, जैसाकि कुछ लोगों का ख़्याल है, उसे पढ़ने का आदेश देना है जिसकी दलील हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी की अयादत (बीमारी का हाल-चाल पूछना) की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : मामूजान, ला इलाह इल्लल्लाह कहो, उसने कहा, मामू या चचा ? आपने फ़रमाया : बल्कि तुम मेरे लिए मामू की हैसियत से हो । तो उसने कहा : मेरे लिए 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहना बेहतर है, आप ने फ़रमाया : हाँ, बेहतर है ।

इसे इमाम अहमद ने मुस्लिम की शर्त पर १०२ या १०३ सही सनदों से उल्लेख किया है ।

और फिर यह भी कि मरने वाले को इसकी ताकीद उसकी मृत्यु से पहले होनी चाहिए न कि बाद में इसलिए कि मैयत (मुर्दा) व्यक्ति न तो 'ला इलाह इल्लल्लाह' कह सकता है और न उसमें सुनने का सामर्थ्य है । उपरोक्त हदीस के अन्त में है कि (जिसकी अन्तिम बोली 'ला इलाह इल्लल्लाह' हो वह जन्नत में दाख़िल हो गया)

८. कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' उसी समय किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जब वह उसके अर्थ को अपने लिए जीवन

व्यवस्था बनाता है। और मुर्दों या अनुपस्थित प्राणियों को पुकारने जैसे शिर्क वाले कर्म से इस कलिमा की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता और जिस किसी ने ऐसा किया उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने वुज़ू करके तोड़ दिया हो। अतएव जैसे वुज़ू करके तोड़ देने वाले व्यक्ति को अपने उस वुज़ू का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही यदि किसी ने ईमान लाने के बाद कोई शिर्क का काम किया तो उसे उस ईमान का कोई लाभ नहीं होगा।

मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं उसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की ओर से भेजे हुए है । अतएव जो कुछ उन्होंने बताया हम उसकी तसदीक करें और उनके आदेशों की पैरवी करें और जिस चीज़ से रोका और मना किया है उसे त्याग दें और उनकी सुन्नत को अपनाते हुए अल्लाह की इबादत करें।

१. मौलाना अबुल हसन अली नदवी किताबुल ईमान में फ़रमाते हैं :

अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हर ज़माने और हर जगह पर सबसे पहली दावत और सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि अल्लाह के बारे में लोगों की आस्था सही किया जाये और बन्दे और उसके रब के बीच संबन्ध सही बुनियाद पर क़ायम हो कि केवल अल्लाह ही नफ़ा नुकसान का मालिक, इबादत, दुआ, निवेदन और क़ुर्बानी का अधिकारी है। और उनका हमला उनके ज़माने में पायी जाने वाली बुतपरस्ती पर केन्द्रित था। जो बुतपरस्ती ज़िन्दा और मुर्दा बुर्ज़ग हस्तियों की इबादत के साथ में पायी जाती थी।

और यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे उनका रब फ़रमा रहा है :

"ऐ पैग़म्बर, कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना अपने लिए भी किसी नफ़ा, नुकसान का मालिक नहीं हूँ । और यदि मैं ग़ैब का इल्म जानता तो अपने लिए बहुत सी भलाईयाँ जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचती । मैं तो केवल ईमानदारों को डराने और जन्नत की शुभसूचना देने वाला हूँ।"

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> मेरी शान ऐसे न बढ़ाना जैसाकि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम की शान बढ़ा दी। मैं तो केवल अल्लाह का बन्दा और रसूल हूँ। इसलिए तुम भी मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहना। (बुख़ारी)

और शान बढ़ाने का मतलब यह है कि उनकी तारीफ़ बढ़ा चढ़ा कर करना। इसलिए यह हमारे लिए उचित नहीं कि हम उन्हें अल्लाह के सिवा पुकारें जैसे कि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम (अलैहिस्सलाम) के साथ किया तो शिर्क में घिर गये। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया है कि हम यह कहें कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मुहब्बत यह है कि उनकी पैरवी करते हुए केवल अल्लाह से दुआ की जाये और उसके अलावा किसी व्यक्ति को न पुकारा जाये चाहे वह (व्यक्ति) कोई भी पहुँचा हुआ वली ही क्यों न हो।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है :

> जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो केवल अल्लाह से मदद लो। (तिरमिज़ी-हसन सही)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ग़म या मुसीबत आन पड़ती तो आप फ़रमाते :

> "ऐ ज़िन्दा और क़ायम रहने वाली जान, मैं तेरी रहमत की बदौलत तुझसे मदद माँगता हूँ।" (तिरमिज़ी,हसन)

और अल्लाह तआला उस कवि पर रहमतें नाज़िल करे जिसने सच्ची मुहब्बत बयान करते हुए कहा :

यदि तुम अपनी मुहब्बत में सच्चे होते तो उनकी इताअत करते क्योंकि चाहने वाला अपने महबूब का फ़रमांबरदार होता है।

और सच्ची मुहब्बत के चिन्हों में से यह भी है कि उस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत से जिससे आपकी दावत की शुरूआत हुई उससे मुहब्बत की जाये और तौहीद की दावत देने वालों से प्यार हो और शिर्क और उसकी दावत देने वालों से नफ़रत हो।

अल्लाह तआला कहाँ है ?

अल्लाह तआला आसमान पर है ।

हजरत मुआविया बिन हकम सुलमी रजीअल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया :

मेरी लौंडी थी जो उहुद और ज़ुबानिया के निकट बकरियाँ चराया करती थी । एक दिन जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि एक बकरी भेड़िया उठा ले गया । इंसान होने के नाते मुझे भी वैसे ही दुख हुआ जैसे दूसरे लोगों को दुख होता है । तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया । फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया । जब उन्हें बताया तो उन्हें बुरा लगा । मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे आज़ाद कर दूं ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसे मेरे पास ले आओ । (अतएव मैं उस लौंडी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुआ) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा : बताओ अल्लाह कहाँ है ? उसने कहा : आसमान पर है । आपने पूछा : मैं कौन हूं ? उस लौंडी ने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि वह ईमानवाली है । (मुस्लिम, अबू दाऊद)

उपरोक्त हदीस से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

१. सहाबा केराम हर मामूली बात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सम्पर्क बनाते थे ताकि उस बारे में अल्लाह का आदेश मालूम करें ।

२.. अल्लाह, तआला के आदेशों पर चलते हुए केवल अल्लाह और उसके रसूल से फैसला लेना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

"ऐ पैग़म्बर, तेरे रव की क़सम उस समय तक लोग मोमिन नहीं हो सकते जव तक अपने झगड़ों का फैसला तुमसे न करवायें। फिर तुम्हारे इस फैसले पर दिल में कोई तंगी महसूस न करें। और उसके सामने सिर न झुका लें।" (सूरह अल-निसा)

३. सहाबी ने लौंडी को मारा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुरा समझा और इस बात का महत्व दिया।

४. केवल मोमिन ग़ुलाम को आजाद करना चाहिए न कि काफ़िर को। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस लौंडी से पूछ-गछ की ताकि मालूम करें कि वह मुसलमान है या नहीं। लेकिन जब मालूम हुआ कि मुसलमान है तो आजाद करने का आदेश दिया।

५. तौहीद (एकेश्वरवाद) के वारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है और यह कि अल्लाह तआला आसमान पर है और उसका ज्ञान आवश्यक है।

६. अल्लाह तआला के बारे में पूछना कि वह कहाँ है, सुन्नत है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी से पूछा।

७. इस सवाल के जवाब में यह कहना चाहिए कि अल्लाह तआला आसमान पर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी के जवाव को ठीक क़रार दिया। इस तरह क़ुरआन करीम ने भी लौंडी के इस जवाब का समर्थन किया है। जैसा कि आया है :

"क्या तुम आसमान पर जो ज़ात है उससे वेख़ौफ़ व ख़तर हो गये हो कि वह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे।" (सूरह अल-मुल्क)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि वह ज़ात अल्लाह तआला की है।

८. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने से ही ईमान सही साबित होता है।

९. यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह तआला आसमान पर है सच्चे ईमान की निशानी है। और यह अक़ीदा अपनाना प्रत्येक मुसलमान पर वाजिब है।

१०. इस हदीस से उस व्यक्ति की ग़लती का रद्द हो गया जो यह कहता है कि अल्लाह तआला व्यक्तिगत रूप में हर जगह मौजूद है और सही यह है कि वह हमारे साथ अपने इल्म से है ज़ात से नहीं।

११. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लौंडी को बुलाया ताकि उससे पूछ-गछ करें यह इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब का इल्म (ज्ञान) नहीं था। इससे सूफ़ियों की काट हो गई जो यह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब का इल्म था।

नमाज़ों की फ़ज़ीलत और उन्हें छोड़ने पर पकड़

नमाज दीन का स्तम्भ और महान रुक्न है जिसकी क़ुरआन और हदीस में बहुत फ़ज़ीलत और महत्व बयान किया गया हैं। और उसे छोड़ने वालों की सख़्त पकड़ की गयी हैं। नीचे कुछ आयतें और हदीसें दी गयी हैं जिनसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती हैं।

१. अल्लाह तआला फरमाते हैं :

"और वे लोग जो नमाज की रक्षा करते हैं वही लोग जन्नतों में प्रतिष्ठित होंगे।" (सूरह अल-मआरिज)

२. अल्लाह फरमाते है :

"और नमाज क़ायम करो क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।" (सूरह अनकबूत)

३. अल्लाह तआला फरमाते हैं :

"तबाही उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हो जाते हैं। यानी बिना कारण क़ज़ा कर देते हैं।" (सूरह अल-माऊन)

४. अल्लाह तआला फरमाता है :

"निश्चय ही वे मोमिन सफल हो गये जो अपनी नमाजें दिल लगाकर (ख़ुशूअ् और ख़ुज़ूअ् से) अदा करते है। (सूरह अलमोमिनून)

५. और फरमाता हैं :

फिर उनके बाद ऐसे अयोग्य लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज

को गंवा दिया और इच्छाओं की पूर्ति में पड़ गये तो ये लोग जरूर जहन्नम के ग़ैय नाम के वादी से दो चार होंगे।

६. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :

तुम्हारा क्या विचार है यदि किसी के दरवाज़े के सामने से नहर बहती हो जिसमें वह प्रतिदिन ५ बार स्नान करे तो क्या उसके शरीर पर कोई गन्दगी शेष रह जायेगी ?

सहाबा केराम रज़िअल्लाहु अन्हुम ने फ़रमाया : ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार की गन्दगी शेष नहीं रह सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : इसी तरह पाँचों नमाज़ों की मिसाल है। जिससे अल्लाह तआला गुनाह माफ़ करते रहते हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

हमारे और उन (काफ़िरों) के बीच की सीमा रेखा नमाज़ है जो छोड़ेगा वह काफ़िर है। (अहमद आदि, सही)

८. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

किसी मुसलमान और कुफ़्र और शिर्क के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज़ है। यानी जो भी उसे छोड़ेगा वह काफ़िर और मुश्रिक है। (मुस्लिम)

वुज़ू का तरीक़ा

अपने दोनों बाज़ुओं से कपड़ा केहुनियों तक समेट कर 'बिस्मिल्लाह' कहिये।

१. कलाईयों तक दोनों हाथ धोईये, कुल्ली कीजिए और नाक में तीन बार पानी डालिये।

२. तीन बार अपना चेहरा और फिर दायां और बायां बाज़ू केहुनियों तक धोईये।

३. अपने पूरे सिर का (कानों सहित) मसह कीजिए।

४. तीन बार दायां और बायां पाँव टखनों तक धोईये।

५. यदि पानी न मिल सके या बीमारी आदि की वजह से पानी का प्रयोग न कर सकें तो उस परिस्थिति में तयम्मुम कर लें। जिस का तरीक़ा यह है कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर अपने चेहरे और हथेलियों पर फेरें, फिर नमाज़ पढ़िये।

नमाज़ का तरीक़ा

सुबह की नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र)

सुबह की दो रिकअतें 'फ़र्ज' हैं जिनकी दिल में नीयत करें।

१. क़िब्ला की ओर मुंह करके अपने दोनों हाथ कानों तक उठाइये और 'अल्लाहु अकबर' कहिए।

२. दायें हाथ को बायें हाथ पर रख कर सीने के ऊपर रखिए और दुआये सना पढ़िये।

फिर सूरह फ़ातिहा पढ़िये :

"सारी तारीफें जहानों (संसारों) के रब के लिए है जो बहुत मेरहबान और रहम करने वाला है। क़ियामत के दिन का मालिक है। या अल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते है और तुझ से ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा दे। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और जो लोग गुमराह हुए।" (हमारी इस दुआ को स्वीकार कर ले।)

फिर सूरह एखलास या उसके अलावा जो क़ुरआन में पढ़ना आसान हो पढ़िये।

१. उसके बाद दोनों हाथ (कानों तक) उठाते हए 'अल्लाहु अकबर' कहिए और रूकूअ कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और तीन बार दुआ पढ़िये।

२. फिर अपना सिर उठाइये और दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए पढ़िये:

समिअल्लाहु लिमन हमिदः

३. फिर "अल्लाहु अकबर" कहकर सजदा करें और दोनों हथेलियाँ, घुटने, पेशानी, नाक और दोनों पाँव की अंगुलियाँ इस तरह से जमीन पर रखिए कि उनका रूख क़िब्ला की ओर हो और किहुनियाँ जमीन से ऊँची रखिए और तीन बार दुआ पढ़िए।

४. "अल्लाहु अकबर" कहते हुए सजदा से सिर उठाईये और दोनों हाथ घुटनों या रानों पर रख कर दोआ पढ़िए :

५. दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले के समान सजदा करें और तीन बार दुआ कहें। तीन बार से अधिक भी कह सकते हैं। यानी विषम संख्याओं में।

६. इस दूसरे सजदे से सिर उठाईये और बायीं टाँग पर बैठ जाइये जबकि दायें पाँव की अंगुलियाँ सीधी खड़ी हों। इस आसन को जलसाए स्तराहत कहते हैं।

दूसरी रिकअत

१. फिर दूसरी रिकअत के लिए खड़े होकर और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटी सूरत या जो कुछ क़ुरआन में पढ़ना आसना हो, पढ़ें।

२. फिर जैसे आपको बताया गया इसी तरह रूकूअ और सजदा कीजिए। दूसरे सजदा के बाद बैठ जाइये और दायें हाथ की अंगुलियाँ इकट्ठी करते हुए घुटने पर रखिये और शहादत की अंगुली उठाते हुए तशहहूद पढ़िये :

"सब हम्द और सना, दुआएँ और पाकीज़ा चीजें अल्लाह ही के लिए हैं। ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की

रहमत और बरकत नाज़िल हो। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

"या अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद और मुहम्मद की सन्तानों पर जैसे कि तूने रहमतें भेजीं इब्राहीम और इब्राहीम की सन्तानों पर। निःसन्देह तू तारीफ़ के क़ाबिल और अज़मत वाला है।"

फिर यह दुआ पढ़िये :

"या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं, जहन्नम के अज़ाब से, और तेरी पनाह चाहता हूं क़ब्र के अज़ाब से, और ज़िन्दगी की आज़माइश और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से।"

४. फिर दायें और बायें और चेहरा फेरते हुए सलाम कहिए।

नमाज़ से सलाम फेरने के बाद निम्नलिखित चीज़ें पढ़ना सुन्नत है।

तीन बार इस्तिग़फ़ार कहना और मस्नून दुआयें पढ़ना।

३३ बार सुबहानल्लाह, ३३ बार अलहम्दुलिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अकबर कहना। आयतुल कुर्सी पढ़ना।

उसके बाद सूरह अख़्लास, सूरह अल-फ़लक़ और सूरह अन्नास पढ़िये। यदि फ़ज्र या मग़रिब की नमाज़ हो तो उन सूरतों को तीन बार दोहराया जाये।

ये सभी ज़िक्र प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करे जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा केराम रज़िअल्लाहु अन्हुम की सुन्नत है।

नमाज़ की रिकअतों की संख्या का बयान

नमाज़ें	फ़र्ज़ से पहले की सुन्नत	फ़र्ज़	बाद की सुन्नतें
फ़ज्र	२	२	-
ज़ोहर	२+२	४	२
अस्र	२+२	४	-
मग़रिब	२	३	२
ईशा	२	४	२+३ वित्र
जुमा	२	२	२+२ (या घर पर २)

नमाज़ के मसायेल

१. पहली सुन्नतों से अभिप्रेत ऐसी सुन्नतें हैं जो फ़र्ज (नमाज) से पहले पढ़ी जाती हैं और बाद की सुन्नतों से अभिप्रेत वे सुन्नतें हैं जो फ़र्ज नमाज़ के बाद पढ़ी जाती हैं।

२. नमाज इत्मिनान और सुकून से पढ़ें, सजदा की जगह पर नज़र रखें और इधर उधर न देखें।

३. जब इमाम उच्च स्वर में किराअत (क़ुरआन पढ़ना) न करे तो आप क़िरअत करें लेकिन जब वह उच्च स्वर में क़िरअत करे तो इमाम की ख़ामोशी के बीच केवल सूरह फ़ातिहा पढ़े।

४. जुमा की फ़र्ज नमाज़ दो रिकअत है जो मस्जिद में ख़ुत्बा के बाद पढ़ी जाती है।

५. मग़रिब की तीन फ़र्ज हैं : जैसे आप ने फ़ज्र की दो रिकअतें

नमाज़ अदा की थीं वैसे ही दो रिक्अतें अदा कीजिए। और जब दुआये अल-तहियात पढ़ चुकें तो अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेरे बिना कंधों के बराबर हाथ उठाते हुए तीसरी रिक्अत के लिए खड़े हो जायें। तीसरी रिक्अत में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़िये और फिर पहले की तरह शेष रिक्अत को पूरा करके सलाम फेर दें।

६. ज़ोहर, अस्र और ईशा की नमाज़ के चार फ़र्ज़ हैं। जैसे आप ने सुबह की नमाज़ अदा की थी उसी तरह दो रिक्अत पढ़कर अल-तहियात पढ़िये और बिना सलाम फेरे तीसरी और फिर चौथी रिक्अत के लिए खड़े हो जाइये और इन दो रिक्अतों में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़िये। शेष नमाज़ पहले की भांति पूरी करके दायें और बायें सलाम फेर दें।

७. वित्र की तीन रिकअतें हैं : दो रिकअतें पढ़कर सलाम फेर दें और फिर तीसरी रिकअत अलग से पढ़ें। और बेहतर यह है कि आप तीसरी रिकअत में रूकूअ से पहले या बाद में दोनों हाथ उठाते हुए दुआये क़ुनूत पढ़ें।

नोट : वित्र तीन के अलावा एक, पांच, सात, नौ ग्यारह रिकअतें भी अदा की जा सकती हैं। विस्तार से अध्ययन के लिए हदीस की किताबों का अध्ययन करें।

८. यदि आप मस्जिद में आते हैं और इमाम को रूकूअ की स्थिति में पाते हैं तो खड़े होकर तकबीर कहिए और इमाम के साथ रूकूअ में मिल जाईये। यदि इमाम के सिर उठाने से पहले आप रूकूअ में मिल गये तो आपकी यह रिकअत हो गई लेकिन यदि इमाम के सिर उठाने के बाद आप रूकूअ में गये तो आपकी यह रिक्अत न गिनी जायेगी।

९. यदि इमाम के साथ आपकी एक अथवा एक से अधिक रिकअतें छूट जायें तो फिर भी इमाम के साथ नमाज़ के अन्त तक अनुसरण करें और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेरे बिना शेष रिकअतों को पूरा करने के लिए खड़े हो जायें।

१०. नमाज़ जल्दी और तेज़ी से मत पढ़िये क्योंकि उससे नमाज़ खराब हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। तो आप ने उसे आदेश दिया कि दोबारा नमाज़ पढ़ो। क्योंकि तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने तीन बार ऐसा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आग्रह किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए। तो आप ने फ़रमाया : इस तरह से रूकूअ करो कि तुम संतुष्ट हो जाओ, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ। फिर संतुष्ट होकर सजदा करो। फ़िर सिर उठाओ और संतुष्ट होकर बैठ जाओ। (बुख़ारी एवं मुस्लिम)

११. यदि आप से नमाज़ के वाजिब कामों में से कोई वाजिब, जैसे तशहहुद छूट जाये या रिकअतों की संख्या में सन्देह हो जाये तो थोड़ी रिकअतें गिनकर नमाज़ पूरा कर लो और सलाम फेरने से पहले दो सजदे करो जिसे सजदा सहो कहते हैं।

१२. नमाज़ में ज्यादा हरकत न करो क्योंकि यह नमाज़ के ख़ुशूअ और ख़ुजूअ के विरूद्ध है। बल्कि संभव है कि अधिक और अनावश्यक हरकत नमाज़ बर्बाद होने का कारण बन जाये।

१३. ईशा की नमाज़ का समय आधी रात को समाप्त हो जाता है जबकि वित्र की नमाज़ का समय फ़ज्र की नमाज़ के समय तक शेष रहता है।

नमाज़ से संबंधित हदीसें

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति फ़ज्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने के बाद सूर्योदय तक बैठा अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है और फिर दो रिकअत नमाज़ पढ़ता है, तो उसे पूरे हज और उमरे का सवाब मिलता है। (सही-तिरमिज़ी)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जिस व्यक्ति की फ़र्ज नमाज़ में कमी रह गयी तो उसकी यह कमी उसकी नफ़्ली नमाज़ से पूरी कर दी जायेगी। (सही-तब्रानी)

३. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति ज़ोहर की नमाज़ से पहले चार और बाद में चार रिकअतें पढ़ता है अल्लाह तआला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। (सही-तिरमिज़ी)

४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो। (बुख़ारी)

५. जब तुममें से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रिकअत पढ़ ले जिन्हे तहीय्यतुल मस्जिद कहा जाता है। (बुख़ारी)

६. क़ब्रों पर मत बैठो और न उन की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ो। (मुस्लिम)

७. जब जमाअत खड़ी हो जाये तो फिर फ़र्ज नमाज़ के सिवा कोई नमाज़ नहीं होती। (मुस्लिम)

८. मुझे आदेश मिला है कि कोई कपड़े न समेटूँ। (मुस्लिम)

इमाम नौवी फ़रमाते हैं : मना इस बात का है कि नमाज़ की

हालत में आस्तीन आदि समेटी जाये ।

९. अपनी पंक्तियां सीधी कर लो और साथ मिल जाओ । हजरत अनस फ़रमाते हैं, हम एक दूसरे के कन्धे से कन्धा और पांव से पांव मिलाया करते थे । (वुख़ारी)

१०. जब नमाज़ खड़ी हो जाये तो फिर दौड़ते हुए न आओ बल्कि नमाज़ की ओर आते हुए तुम सुकून से रहो । और नमाज़ का जो हिस्सा तुम्हें मिल जाये वह इमाम के साथ पढ़ लो । शेष हिस्सा बाद में पूरा कर लो । (बुख़ारी व मुस्लिम)

११. पूरे इत्मिनान से रूकूअ करो । फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ । फिर पूरे इत्मिनान से सजदा करो । (बुख़ारी)

१२. जब सजदा करो तो अपने हाथ ज़मीन पर रखकर 'केहुनियों' को उठाये रखो । (मुस्लिम)

१३. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं तुम्हारा इमाम हूँ अतएव रूकूअ या सजदा करते हुए मुझ से पहले न करो । (मुस्लिम)

१४. क़ियामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा । यदि नमाज़ सही हुई तो सारे कर्म सही हो जायेंगे । यदि नमाज़ फ़ासिद हुई तो सारे कर्म वर्बाद हो जायेंगे । (सही - तबरानी)

जुमा की नमाज़ और जमाअत की फ़र्ज़ीयत

जुमा की नमाज़ और उसे जमाअत से अदा करना निम्नलिखित दलीलों से पुरूषों पर वाजिब है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो अल्लाह की याद (नमाज़) की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदना और बेचना (दुनिया के लिए) छोड़ दो यह तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। (सूरह अल-जुमा)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति तीन जुमे गफ़लत और सुस्ती से छोड़ देता है अल्लाह तआला उसके दिल पर (गुमराही) की मुहर लगा देते है। (अहमद, सही)

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने का आदेश दूँ फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो बिना किसी कारण अपने घरों में नमाज़ पढ़ते है और उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके घरों को जला दूँ। (मुस्लिम)

४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते है : जो व्यक्ति अज़ान सुनने के बावजूद नमाज़ के लिए मस्जिद में नहीं आता तो (बीमारी का भय जैसे) कारणों के बिना उसकी नमाज़ नहीं होती। (इब्ने माजः)

५. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंधा व्यक्ति आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई मस्जिद में

लाने वाला नहीं, अतएव वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगता है, तो आप उसे अनुमति दे देते हैं, परन्तु जब वह चलने लगता है तो आप पूछते हैं कि क्या तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो तो उसने जवाव दिया जी हाँ ! आप ने फ़रमाया, तो फिर तुम्हें मस्जिद में नमाज़ के लिए आना होगा। (मुस्लिम)

६. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : जो व्यक्ति चाहता है कि वह कल क्रियामत के दिन अल्लाह तआला से इस्लाम की हालत में मिले तो उसे चाहिए कि जब भी पांचों नमाज़ों के लिए मुनादी हो तो उनके जमाअत की पावन्दी करे। क्योंकि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नवी को हिदायत के रास्ते बताये हैं और नमाज़ो को जमाअत से अदा करना उन्हीं हिदायत पाये हुए तरीकों में से है। यदि तुम भी पीछे रहने वाले की भाँति घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। और जब अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और हम देखा करते थे कि जाने बूझे मुनाफ़िकों के सिवा कोई दूसरा आदमी जमाअत से पीछे नहीं रहता था। यहाँ तक कि किसी को (बीमारी के कारण) दो आदमियों का सहारा लेकर ही क्यों न आना पड़ता वह आता यहाँ तक कि उसको पंक्तियों में खड़ा कर दिया जाता। (मुस्लिम)

जुमा की नमाज़ और जमाअत की फ़ज़ीलत

१. नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमया : जो व्यक्ति स्नान करके जुमा के लिए आता है और जहाँ तक होता है नफ़िल नमाज़ पढ़ता है। फिर इमाम के फ़ारिग़ होने तक उसका खुत्वा ख़ामोशी से सुनता है और इमाम के साथ जुमा की नमाज़ अदा करता है तो उसके उस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और दिन के और भी। (मुस्लिम)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति ईशा की नमाज़ जमाअत से अदा करता है ऐसा है जैसे उसने आधी रात तक क़ियाम किया हो, और जो व्यक्ति फ़ज्र की नमाज़ भी जमाअत से पढ़ता है ऐसा है जैसे उसने सारी रात क़ियाम किया हो। (मुस्लिम)

३. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जमाअत से नमाज़ अकेले नमाज़ के मुकावले में सत्ताइस गुना ज़्यादा बेहतर है। (वुख़ारी, मुस्लिम)

४. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति गुस्ले जनाबत की तरह स्नान करता है और पहली घड़ी में जुमा के दिन मस्जिद आता है वह ऐसा है जैसे उसने ऊँट की कुर्बानी दी हो। और जो व्यक्ति दूसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसेकि उसने गाय की क़ुर्बानी दी हो, और जो तीसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसे उसने सींगों वाले मेंढे की क़ुर्वानी दी हो। और जो चौथी घड़ी में आये ऐसा है जैसे उसने मुर्गी क़ुर्बान की हो। और पाचवी घड़ी में आने वाले को अण्डे की कुर्बानी का सवाव मिलता है। फिर जव इमाम ख़ुत्वा के लिए आ जाये तो सवाव लिखने वाले फ़रिश्ते ख़ुत्वा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। (मुस्लिम)

जुमा की नमाज़ और उसके आदाब

१. मैं जुमा के दिन स्नान करता, नाख़ून उतारता, ख़ुशबू लगाता और वज़ू के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूं।

२. कच्ची प्याज़ और लहसुन नहीं खाता और न सिगरेट पीता हूं और मिसवाक से अपने दाँत साफ़ करता हूं।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद में दाख़िल होकर दो रिकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ता हूं। चाहे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति ख़ुत्बे के बीच मस्जिद में आये तो हलकी सी दो रिकअत पढ़ ले। (बुख़ारी, मुस्लिम)

४. बिना कोई बात किये इमाम का ख़ुत्बा सुनने के लिए बैठ जाता हूं।

५. जुमा की नमाज़ के बाद मस्जिद में चार या घर में दो रिकअत सुन्नत पढ़ता हूं और यही बेहतर है।

६. इमाम के पीछे दिल से नीयत करते हुए जुमा की दो रिकअत फ़र्ज अदा करता हूं।

७. उस दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अन्य दिनों के मुक़ाबले ज़्यादा दरूद और सलाम पढ़ता हूं।

८. जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करता हूं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो मुसलमान भी अपने लिए अल्लाह से उस समय कोई भलाई माँगता है तो अल्लाह तआला उसे वह दे देता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

बीमार के लिए नमाज़ का फ़र्ज़ होना

मुसलमान भाईयो ! बीमारी की हालत में भी नमाज़ मत छोड़िये क्योंकि इस हालत में भी नमाज़ फ़र्ज है। इसी तरह अल्लाह तआला ने मुजाहिदों के लिए युद्ध के दौरान भी नमाज़ पढ़ना फ़र्ज किया है।

और आप को मालूम होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति के लिए नमाज़ दिली सुकून का कारण बनती है। जो उसे शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक बनती है।

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

"और मदद हासिल करो सब्र और नमाज़ क़ायम करने से।"

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे : ऐ बिलाल नमाज़ के लिए इक़ामत कहो, ताकि हम नमाज़ क़ायम करके सुकून हासिल कर सकें। (अबू दाऊद)

बीमार व्यक्ति को नमाज़ छोड़कर नाफ़रमान बनकर मरने के बजाय यह चाहिए कि नमाज़ अदा करता हुआ दुनिया से विदा हो जाये । अल्लाह तआला ने बीमार के लिए पानी न इस्तेमाल करने की सूरत में तयम्मुम करने की जो आसानी दी है वह इसलिए है कि कहीं पानी न इस्तेमाल कर सकने पर वह नमाज़ न छोड़ बैठे।

अल्लाह तआला फ़रमाते है :

"और यदि तुम बीमार हो, या सफ़र में हो, या तुममें से कोई नित क्रिया से निवृत होकर आये या औरत के साथ सम्भोग किया हो, और पानी न मिल सके (या उसे इस्तेमाल न कर सको) तो पाक

मिट्टी से तयम्मुम करते हुए मुंह और हाथों पर मसह करो और अल्लाह तआला तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते बल्कि वह तुम्हें पाक और तुम्हारे ऊपर अपना एहसान पूरा करना चाहते हैं ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ।" (सूरह अल-मायदा)

बीमार व्यक्ति की तहारत (पाकी) का तरीक़ा

१. बीमार के लिए ज़रूरी है कि वह पानी से तहारत करे अतएव जनाबत (सहवास के बाद) आदि से स्नान करे अन्यथा वुज़ू करे।

२. यदि पानी इस्तेमाल करने में असमर्थ हो या बीमारी के बढ़ने या स्वस्थ होने में देर होने की आशंका हो तो ऐसी हालत में तयम्मुम कर सकता है।

३. तयम्मुम का नियम यह है कि एक बार अपने दोनों हाथों को पाकीज़ा (पवित्र) मिट्टी पर मारे और फिर उनसे अपने चेहरे का और फिर दोनों हाथों का एक दूसरे पर मसह करे।

४. यदि बीमार स्वयं तहारत न कर सकता हो तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे वुज़ू या तयम्मुम करवा सकता है।

५. यदि बीमार के किसी ऐसे अंग में घाव हो जिसे वुज़ू में धोना ज़रूरी हो तो यदि वह उसे पानी से धो सकता है तो उसे धो ले लेकिन यदि पानी से घाव प्रभावित होता हो तो अपना हाथ धोकर मसह कर ले और यदि मसह करने से घाव बिगड़ने की संभावना हो तो फिर उन अंगों का भी तयम्मुम कर ले।

स्पष्टीकरण : मिसाल के तौर पर यदि किसी के दायें पांव में घाव हो तो उसे चाहिये कि शेष अंगों को धोने के बाद यदि पांव का वह भाग जहां घाव है, धो सकता है तो धो ले। लेकिन यदि उससे घाव बिगड़ने का भय हो तो फिर शेष अंगों को धोने के बाद उस

पांव की तरफ से इस तरह तयम्मुम कर ले जैसा कि तयम्मुम करने का तरीक़ा बताया जा चुका है।

६. यदि उसके किसी टूटे हुए अंग पर पट्टी आदि हो तो धोने के बदले उस पर मसह कर लेना काफ़ी होगा। क्योंकि उस परिस्थिति में मसह करना धोने के समान होगा अतएव उसकी तरफ़ से तयम्मुम करने की जरूरत नहीं।

७. दीवार या किसी भी ऐसी पाकीज़ा चीज़ पर तयम्मुम करना जायज़ है जिस पर गर्द हो। और यदि दीवार रंग (पेंट) की हुई हो तो फिर केवल उस समय उस पर तयम्मुम करना जायज़ होगा जब उस पर गर्द (धूल-कण) पड़े हों अथवा नहीं।

८. यदि तयम्मुम धरती, दीवार या किसी गर्द वाली वस्तु पर करना संभव न हो तो फिर बीमार व्यक्ति अपने पास किसी बर्तन या कपड़े में मिट्टी रख ले और उसी से तयम्मुम करे।

९. यदि रोगी ने एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया और उसकी यह तहारत दूसरी नमाज तक शेष रही तो वह यह नमाज़ दोबारा तयम्मुम किये बिना पढ़ सकता है। क्योंकि जब तक वह तहारत किसी वजह से समाप्त नहीं कर देता उस समय तक उसकी तहारत शेष है।

नोट : तयम्मुम भी प्रत्येक उस चीज़ से समाप्त हो जाता है जिससे वुज़ू टूट जाता है।

१०. रोगी के लिए अपने शरीर से हर प्रकार की नजासत (गन्दगी) दूर करनी जरूरी है। लेकिन यदि वह ऐसा करने का सामर्थ्य न रखता हो तो वह जिस हालत में है उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले और गन्दगी दूर होने पर उसे नमाज़ दोहराने की जरूरत नहीं।

११. बीमार व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह पाकीज़ा (पवित्र) कपड़ों में नमाज़ पढ़े। अतएव यदि कपड़े नापाक हो जाते हैं तो उन्हें धोना या पाकीज़ा कपड़ा बदल लेना ज़रूरी होगा। लेकिन यदि संभव न हो तो फिर वह जिस हालत में है उसमें नमाज़ पढ़ ले। पवित्र कपड़े मिलने पर नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

१२. रोगी के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह पाक जगह पर नमाज़ पढ़े। अतएव यदि जगह नापाक हो जाती है तो उसे धोना, जगह बदलना, या फिर उस पर पाक चीज़ (कपड़े आदि) बिछाना ज़रूरी होगा। लेकिन यदि वह भी असंभव न हो तो वह जैसा भी हो नमाज़ पढ़ ले और बाद में दोहराने की ज़रूरत न होगी।

१३. रोगी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह पाक न हो सकने की वजह से नमाज़ समय पर अदा न करे। बल्कि उसे चाहिए कि भरसक तहारत करे। और नमाज़ को उसके समय में अदा करे। और यदि कोशिश के बावजूद शरीर, कपड़े या स्थान से गन्दगी दूर न कर सका तो कोई हर्ज नहीं।

बीमार व्यक्ति कैसे नमाज़ पढ़े ?

१. रोगी के लिए आवश्यक है कि वह नमाज़ खड़ा होकर अदा करे। चाहे उसे झुक कर या दीवार या लाठी से टेक लगाकर ही क्यों न पढ़ना पड़े।

२. लेकिन यदि खड़े होने का सामर्थ्य न हो तो वैठ कर पढ़ सकता है। और बेहतर यह है कि क़याम और रूकूअ की जगह वह चार ज़ानू होकर बैठे।

३. लेकिन यदि बैठने की भी ताक़त न हो तो क़िब्ला की ओर फिर कर लेटे हुए ही नमाज पढ़े। और वेहतर यह है कि दायें पहलू पर लेटा हो। लेकिन यदि क़िब्ला की दिशा में न मुड़ सकता हो तो फिर वह जिस तरफ़ लेटा हो उसी तरफ़ नमाज पढ़ ले। उसकी नमाज सही होगी और दोहराने की ज़रूरत नहीं।

४. यदि पहलू पर भी नमाज पढ़ना सभव न हो तो वह अपने पाव क़िब्ला की ओर किये हुए लेटे लेटे भी नमाज़ पढ़ सकता है। और अच्छा यह है कि उसका सिर थोड़ा ऊँचा हो ताकि क़िब्ला रूख हो सके और यदि यह भी संभव न हो तो फिर वह जैसे लेटा हो वैसे ही नमाज़ पढ़ले, दोहराने की ज़रूरत न होगी।

५. वीमार के लिए भी रूकूअ और सजदा करना ज़रूरी है लेकिन यदि न कर सकता हो तो उसे अपने सिर से इशारा करते हुए रूकूअ और सजदा करे। अतएव सजदा करते हुए रूकूअ के मुकाबले अधिक सिर झुकाए। और यदि केवल रूकूअ ही कर सकता हो तो रूकूअ कर ले और सजदा के लिए सिर से इशारा कर ले। इसी तरह यदि केवल सजदा कर सकता हो तो सजदा कर ले और रूकूअ के लिए सिर से इशारा कर ले। और सजदा करने

के लिए कोई तकिया आदि उठाने की जरूरत नहीं है।

६. यदि वीमार व्यक्ति रूकूअ और सजदा सिर के इशारे से भी न कर सकता हो तो फिर अपनी आंखों से इशारा करे। अतएव रूकूअ के लिए इशारा करते हुए आंख मामूली अन्दाज में वन्द करे और सजदा के लिए इशारा करते समय रूकूअ के मुक़ावले ज़्यादा वन्द करे। कुछ वीमार लोग रूकूअ और सजदा के लिए उंगली से इशारा करते हैं। हालांकि इस वात की मुझे क़ुरआन, हदीस और आलिमों के कथनों से कोई दलील मालूम न हो सकी।

७. फिर यदि सिर या आंख से भी इशारा करने की ताक़त न हो तो अपने दिल में नमाज पढ़े अतएव तकवीर कहे, क़िराअत करे और अपने दिल से रूकूअ, सजदा, क़ियाम और वैठने का इरादा करे और हर व्यक्ति का वदला उसकी नीयत के अनुसार है।

८. रोगियों के लिए प्रत्येक नमाज को समय पर अदा करना और उसके वाजिव चीज़ों को भरसक पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन यदि उसके लिए प्रत्येक नमाज़ समय पर अदा करना मुश्किल हो तो फिर ज़ोहर और अस्र और मगरिव और ईशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ सकता है। आसानी के मुताविक़ जमा तक़दीम यानी अस्र की नमाज़ ज़ोहर के साथ और ईशा की नमाज़ मग़रिव के साथ या जमा ताख़ीर यानी ज़ोहर की नमाज अस्र के साथ या मग़रिव की नमाज़ ईशा के साथ पढ़ सकता है। जवकि फ़ज्र की नमाज किसी पहली या वाद वाली नमाज के साथ जमा नहीं की जा सकती।

९. यदि वीमार व्यक्ति सफ़र में हो और अपने नगर के अलावा किसी दूसरे नगर में इलाज करा रहा हो तो उसे नमाज क़स्र के साथ पढ़ना चाहिए। अतएव चार रिकअत वाली नमाज़ दो रिकअत पढ़े जैसे कि ज़ोहर, अस्र और ईशा की नमाज़ें हैं और यह छूट

उसके इलाज पूरा होने तक शेष है। चाहे इलाज लम्बी अवधि तक चले या थोड़ी अवधि में हो।

मुस्तजाब दुआयें

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जिस व्यक्ति ने रात को उठकर यह दुआ पढ़ ली और फिर कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो उसकी दुआ क़ुबूल होगी और अगर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ क़ुबूल होगी। (बुख़ारी)

> "अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह एक है, उसका कोई साझी नहीं। उसके लिए बादशाही और सब तारीफ़ें हैं। और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। अल्लाह की ज़ात पाक है। सब तारीफ़ें उसकी हैं और उसके सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं। और अल्लाह किबरियाई वाला है। और अल्लाह के सिवा मेरी कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं।"

जनाज़े की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

जनाजे की नमाज पढ़ने वाला दिल से उसकी नीयत करे और फिर चार तकवीरें कहे :

१. पहली तकवीर के वाद अऊज़ु विल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फ़ातिहा पढ़े।

२. दूसरी तकबीर के वाद दरूदे इब्राहीमी पढ़े।

३. तीसरी तकबीर के वाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होने वाली यह दुआ पढ़े।

> ऐ अल्लाह हमारे ज़िन्दों, मुर्दों, उपस्थित लोगों एवं अनुपस्थित जनों, छोटों और वड़ों, पुरूषों और महिलाओं को वख़्श दे। या अल्लाह हम में से जिसे जीवित रखे उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। ऐ अल्लाह हमें मरने वाले के सवाव से वंचित न रख और उसके वाद किसी आज़माईश में मुब्तिला न कर। (अहमद, तिरमिज़ी, हसन सही)

४. चौथी तकवीर के वाद इच्छानुसार दुआ करे और फिर दायीं ओर सलाम फेर दे।

मौत का उपदेश :

अल्लाह तआला का फ़रमान है :

> "प्रत्येक प्राणि को मौत का मज़ा चखना है और क़ियामत के दिन तुम्हें (तुम्हारे कर्मों का) पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। अतएव जो व्यक्ति जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही सफल है और दुनिया की ज़िंदगी तो केवल धोखे का सामान है।" (सूरह आल-इमरान)

ईदगाह में ईद की नमाज़

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र और ईदुल अजहा के दिन ईदगाह जाते तो वहां पहुंचकर सवसे पहले नमाज़ पढ़ते। (बुख़ारी)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ईदुल फित्र की नमाज़ में पहली रिकअत में सात और दूसरी रिकअत में पांच तकवीरें कही जाती हैं और उन तकवीरों के वाद क़िराअत की जाती है। (अवू दाऊद, हसन)

३. हज़रत उम्मे अतिया रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश किया कि हम ईदुल फ़ित्र और ईदुल अजहा के लिए मासिक धर्म वाली महिलायें और पर्दा में रहने वाली कुंवारी लड़कियां भी साथ ले जायें। लेकिन मासिक धर्म वाली औरतें नमाज़ न पढ़ें। ताकि वह भी इस ख़ैर व बरकत के सम्मेलन और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो सकें। हज़रत उम्मे अतिया रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं। मैंने कहा : अल्लाह के रसूल ! यदि हम में से किसी बहन के पास ओढ़नी न हो तो फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया : उस की किसी बहन को चाहिये कि वह उसे अपनी ओढ़नी ओढ़ा दे। (वुख़ारी व मुस्लिम)

इन हदीसों से मालूम हुआ कि :

१. ईद की दो रिक़अत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। जिसमें नमाज़ी पहली रिकअत के शुरू में सात और दूसरी रिक़अत के शुरू में पांच तकवीरें कहे। फिर सूरह फ़ातिहा और क़ुरआन में से जो याद हो पढ़े।

२. ईद की नमाज़ मदीने के नज़दीक ईदगाह में अदा की जाती थी जिसकी तरफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते और आप के साथ बच्चे, औरतें, युवतियां और यहां तक कि हैज़ की महिलायें भी जाया करतीं।

हाफ़िज़ इब्ने हज्र फ़तहुल बारी में फ़रमाते हैं, इससे मालूम हुआ की ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह में जाना ज़रूरी है और मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ना केवल मजबूरी में ही जायज़ है।

ईदुल अज़हा में क़ुर्बानी की ताकीद

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : हमें चाहिये कि अपनी ईद का दिन नमाज़ से शुरू करें फिर वापस आकर क़ुर्बानी करें। अतएव जो व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसने हमारी सुन्नत अपना ली और जिस व्यक्ति ने ईद की नमाज़ से पहले क़ुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर लिया तो उसकी क़ुर्बानी नहीं हुई। बल्कि अपने घर वालों को खाने के लिए गोश्त की व्यवस्था की है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : लोगो ! हर घर के लिए क़ुर्बानी करना ज़रूरी है। (अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने हज्र ने इसे सहीह क़रार दिया है)

३. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो व्यक्ति सामर्थ्य रखने के बावजूद क़ुर्बानी नहीं करता वह हमारी ईदगाह में न आये। (अहमद आदि जामिउल उसूल के लेखक ने इसे हसन क़रार दिया है)

इस्तिसक़ा की नमाज़

(वर्षा मागने के लिए नमाज़)

१. सही बुख़ारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की ओर इस्तिस्क़ा की नमाज पढ़ने के लिए निकले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्षा के लिए दुआ मांगी। फिर क़िब्ला की ओर फिर कर दो रिक़अत नमाज पढ़ी और अपनी चादर उलट दी चादर का दायाँ हिस्सा वांयी ओर कर दिया। (बुख़ारी)

२. हजरत अनस विन मालिक रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब अकाल पड़ता तो हजरत उमर विन ख़त्ताव रज़िअल्लाहु अन्हु हजरत अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु को साथ लेकर वर्षा की दुआ माँगते और फ़रमाते, "या अल्लाह ! हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (जब वह ज़िन्दा थे) वसीला बनाते हुए बारिश की दुआ मांगा करते थे। तो तू बारिश बरसाता था। अव जबकि तेरे नवी का देहान्त हो चुका है हम आपके चचा का वसीला देते हुए तुझसे बारिश की दुआ करते हैं।" अतएव अल्लाह तआला पानी बरसाते थे। (बुख़ारी)

३. यह हदीस इस वात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िन्दा थे तो मुसलमान उनको दुआ का वसीला बनाते और उनसे वारिश के लिए दुआ करवाते। और जब वह अपने ख़ालिक़ से जा मिले तो फिर मुसलमानों ने मृत नबी से दुआ नहीं करवायी वल्कि हजरत अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हु (जो अभी जीवित थे) ने अल्लाह तआला से उनके लिए वर्षा की दुआ की।

ख़ुसूफ़ और कुसूफ़ की नमाज़

वह नमाज़ जो सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण लगने पर पढ़ी जाती है।

१. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूर्यग्रहण लगा तो आपने घोषणा करवायी कि नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर आपने चार रूकूअ और चार सज्दों से दो रिक़अत नमाज अदा की यानी हर रिक़अत में दो रूकूअ और दो सज्दे किये। (बुख़ारी)

२. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूर्यग्रहण लगा तो आपने लोगों को इस तरह नमाज पढ़ाई कि आपने लम्वी क़िराअत करने के बाद लम्बा रूकूअ किया फिर रूकूअ से सिर उठाकर लम्बी क़िराअत की जो पहली क़िराअत के मुक़ावले कुछ कम थी। फिर आपने रूकूअ किया जो पहले रूकूअ के मुक़ाबले छोटा था। फिर रूकूअ से उठने के बाद दो सज्दे किये और फिर उसी तरह से दो रिक़अत अदा की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उस समय सूर्य रोशन हो चुका था। फिर आपने लोगों को सम्वोधित किया और फ़रमाया, कि सूर्य और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी की वजह से नहीं गहनाते बल्कि यह तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं जो कि अपने बन्दों को (डराने के लिए) दिखाते हैं, अतएव जब तुम चाँद या सूरज ग्रहण लगा दुआ देखो तो नमाज़ की तरफ़ दौड़ो। अल्लाह तआला से दुआ करो, दरूद पढ़ो और सदक़ा और ख़ैरात करो।

नोट: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इसलिए फ़रमाया

क्योंकि उस दिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पुत्र इब्राहीम (रज़िअल्लाहु अन्हु) की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों ने यह ख़्याल किया कि संभवतः इब्राहीम रज़िअल्लाहु अन्हु की मृत्यु के कारण सूर्यग्रहण लगा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका यह सन्देह दूर करने के लिए यह फ़रमाया।

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत ! यदि तुम्हारी ग़ैरत यह सहन नहीं करती कि तुम्हारा कोई ग़ुलाम या लौण्डी व्याभिचार करे तो अल्लाह तआला तुमसे ज़्यादा ग़ैरतमन्द है कि उसका कोई बन्दा या बन्दी व्याभिचार करे। ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत ! यदि तुम्हें वह बातें मालूम हो जो हमें मालूम है तो तुम बहुत थोड़ा हँसा करो और बहुत ज़्यादा रोया करो। क्या मैंने तुम्हें तबलीग़ नहीं कर दी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस्तिख़ारा की नमाज़

इस्तिख़ारा की नमाज़ उस समय पढ़ी जाती है जब कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता हो लेकिन वह उसे करने या न करने का फ़ैसला न कर पाता हो तो उस स्थिति में वह दो रिक्अत नमाज़ पढ़कर उस काम में बेहतरी और आसानी की दुआ करे।

हज़रत जाबिर रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समस्त कार्यों के लिए इस तरह इस्तिख़ारा की दुआ सिखाते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, जो व्यक्ति किसी काम का इरादा करे उसे दो रिक्अत नफ़्ल पढ़कर दुआ माँगनी चाहिए। दुआ का अनुवाद यह है।

"या अल्लाह, मैं तेरे ज्ञान के बदौलत भलाई चाहता हूँ और तेरे सामर्थ्य की सहायता से कार्य करने की शक्ति माँगता हूँ और तुझ से तेरी महान कृपा का सवाल करता हूँ। निश्चय तू ही सामर्थ्य रखता है। मैं सामर्थ्य नहीं रखता, तू ही जानता है जबकि मैं नहीं जानता और तू ही ग़ैब का इल्म जानने वाला है। या अल्लाह, यदि तेरे इल्म के मुताबिक़ यह काम (उस काम का नाम लेकर) मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और परिणाम की दृष्टि से बेहतर है, तो तू उसे मेरा भाग्य बना दे। उसकी प्राप्ति मेरे लिए आसान कर दे। और उसे मेरे लिए बरकत वाला बना दे। और यदि तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और परिणाम की दृष्टि से हानिकारक है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मेरी सोच और विचार से निकाल दे और जहाँ कहीं भी भलाई हो उसे मेरा भाग्य बना दे और मुझे इस पर संतुष्ट कर दे।" (बुख़ारी)

जैसे एक व्यक्ति इलाज के लिए स्वंय दवाईयों का इस्तेमाल करता है । ऐसे ही उसे यह नमाज़ और दुआ स्वंय करना चाहिए । और उसे इसका विश्वास हो कि उसने अपने जिस रब से इस्तिख़ारा किया है वह अवश्य उसकी किसी बेहतर रास्ते की ओर मार्गदर्शन करेगा । और उस बेहतरी का चिन्ह यह है कि आप के लिए उस काम के अस्बाब आसान हो जायेंगे । इस इस्तिख़ारे का ज्ञान हो जाने के बाद तुम बिदअती इस्तख़ारे से बचो जो सपनों, मुकाशफ़ों और पति-पत्नी के नामों का हिसाब लगाकर किये जाते हैं । क्योंकि ऐसी चीज़ों की दीन में कोई वास्तविकता नहीं । बल्कि शिर्क और बिदअत है । जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> जिस व्यक्ति ने ज्योतिषी से कोई बात पूछी और उसकी तसदीक़ कर दी तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ स्वीकार नहीं होती । (मुस्लिम)

दूसरी हदीस में है :

> ऐसे व्यक्ति ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले (कुरआन) से कुफ़्र किया ।

नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर गुनाह

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि यदि नमाज़ी के समाने से गुज़रने वाले को पता चल जाये कि उस पर कितना गुनाह है तो उसके लिए चालीस (साल) खड़ा होना नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बेहतर है। (बुख़ारी, इब्ने ख़ुज़ैमा)

अबु नजर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आपने चालीस दिन या चालीस महीना कहा था या चालीस साल।

इस हदीस में नमाज़ी के आगे उसके सज्दे की जगह से गुज़रने में बहुत बड़े गुनाह की सूचना दी गयी है और अगर गुज़रने वाले को गुनाह का इल्म हो तो वह चालीस साल तक प्रतीक्षा करना तो सहन कर लेगा लेकिन नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रेगा। अलबत्ता इसके लिए नमाज़ी के सज्दागाह से दूर गुज़रने में कोई नुकसान नहीं। जैसाकि उस हदीस से पता चलता है जिसमें सज्दा की स्थिति में हाथ रखने की जगह बतायी गयी है।

और नमाज़ी को चाहिए कि वह अपने सामने सुतरह रख लिया करे। ताकि गुज़रने वाले सचेत हो जायें। जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है जब तुममें कोई सुतरह रखे नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई उसके समाने से गुज़रना चाहे तो उसे रोक दे और पीछे हटा दे। यदि फिर भी वह बाज़ न आये तो उसे सख़्ती से रोके कि वह शैतान है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

१. बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस से साबित होने वाले मना में मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) और मस्जिदे नबवी भी शामिल है क्योंकि आपने यह हदीस मक्का और मदीना में ही बयान फ़रमाई। जहाँ मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी हैं।

इस बात की दलील यह भी है कि इमाम बुख़ारी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि उन्होंने बैतुल्लाह में तशहहूद के दौरान आगे से गुज़रने वाले को रोका और फ़रमाया कि यदि कोई लड़ना चाहता है तो उससे लड़ो। यानी यदि कोई सख़्ती के बिना नहीं रुकता तो उसे सख़्ती से रोके। हाफ़िज़ इब्ने हज्र फ़रमाते हैं कि इस हदीस में बैतुल्लाह का उल्लेख किया गया है ताकि यह भ्रम न रहे कि बैतुल्लाह में भीड़ होने के कारण आगे से गुज़रना जायज़ है। उपरोक्त रिवायत इमाम बुख़ारी के गुरू अबू नईम ने किताबुस्सलाह में काबा के उल्लेख से बयान किया है।

२. जबकि सुनन अबू दाऊद में उल्लिखित हदीस एक रावी (उल्लेखकर्त्ता) के मज्हूल होने के कारण कमज़ोर है। इस हदीस की इबारत यह है कि कसीर बिन कसीर बिन अबी विदाअ: अपने घर वालों से रिवायत करते हैं कि उनके दादा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाब बिन सेहन के निकट बिना सुतरह के नमाज़ पढ़ते हुए देखा और लोग उनके आगे से गुज़र रहे थे।

हाफ़िज़ इब्ने हज्र फ़तहुल बारी में फ़रमाते हैं कि यह हदीस कमज़ोर है क्योंकि कसीर बिन कसीर ने यह हदीस अपने पिता से नहीं बल्कि किसी घर वाले से सुनी है अतएव वह मज्हूल है।

३. इसी तरह सही बुख़ारी में सुतरह आदि के अध्याय में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के समय बतहा (मक्का) की ओर निकले जहाँ लाठी गाड़े हुए ज़ोहर और अस्र की दोगाना नमाज़ अदा की।

सारांश यह है कि नमाज़ी के आगे से उसकी सज्दागाह से गुज़रना

हराम है। और यदि वह अपने सामने सुतरह रखे हुए हो और फिर भी कोई उसकी सज्दागाह से गुज़रे तो उसमें सख़्त गुनाह की बात है। उपरोक्त हदीसों के आधार पर यह आदेश मस्जिदे हराम और शेष सभी जगहों के लिए बराबर है। इस आदेश से केवल सख़्त भीड़ के समय मजबूरी की हालत में छूट है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुरआन और नमाज़ पढ़ना

१. अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और क़ुरआन को ख़ूब ठहर-ठहर कर पढ़ा करो। (सूर: अल-मुज़म्मिल)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन से कम की अवधि में क़ुरआन समाप्त नहीं करते थे। (सही-रवाहो इब्ने साद)

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक आयत पढ़कर रूकते और अगली आयत पढ़ते। (तिरमिज़ी, सही)

४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते कि क़ुरआन अच्छी रसीली आवाज़ से पढ़ा करो क्योंकि अच्छी आवाज़ क़ुरआन के हुस्न को दोबाला कर देती है। (अबू दाऊद, सही)

५. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरआन पढ़ते हुए स्वर अधिक खींचते। (अहमद, सही)

६. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्ग़े की बांग सुनकर नींद से जागते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी-कभी अपने जूतों में भी नमाज़ पढ़ लेते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

८. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायें हाथ से ज़िक्र की गिनती करते। (तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सही)

९. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कठिनाई होती तो नमाज़ पढ़ते। (अबू दाऊद, अहमद, हसन)

१०. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ में बैठते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते और दायें हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली उठाये दुआ करते। (मुस्लिम, सिफ़तुल-जुलूसे फिस-सलात ५\८०)

११. (नमाज़ में बैठे हुए) आप दायें हाथ की उंगली (शहादत) को हिलाते हुए दुआ करते (नसाई-सही) और आप फ़रमाते उसकी चोट शैतान के ऊपर लोहे से भी ज़्यादा सख़्त है। (अहमद, हसन)

१२. आप नमाज़ में अपना दायां हाथ बायें हाथ पर सीना पर रखते [(इब्ने ख़ुज़ैमा आदि ने उल्लेख किया। तिरमिज़ी ने हसन कहा है) और इमाम नववी ने इसका उल्लेख मुस्लिम शरीफ़ की व्याख्या में किया और कहा है कि नाफ़ से नीचे हाथ बांधने वाली हदीस कमज़ोर है।]

१३. चारों इमामों ने एक स्वर में कहा है कि यदि सही हदीस मिल जाये तो वही मेरा मजहब होगा। इसलिए तशह्हुद में उंगली को हरकत देना (रफ़उल यदैन करना, ऊंचे स्वर में आमीन कहना) और नमाज में सीने पर हाथ रखना उनके मजहब के अनुसार है और यही सुन्नत है।

१४. शहादत की उंगली को नमाज में हरकत देना इमाम मालिक और कुछ शाफ़ई विचारधाराओं के मानने वालों का मजहब है जैसाकि इसका उल्लेख इमाम नववी की पुस्तक शरह अल-मुहज़्ज़ब (३\४५४) और मुहक्किक जामिउल-उसूल ने (५\४०४) में किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हरकत देने (हिलाने) का कारण उपरोक्त हदीस में बयान कर दिया है जिसमें शैतान पर लोहे की चोट से भी ज़्यादा सख़्त है। और यह इसलिए कि उंगली का हरकत देना अल्लाह की तौहीद

की ओर इंगित करना है जबकि शैतान को तौहीद नापसन्द है। अतएव एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इन्कार करने के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे जैसाकि उन्होंने फ़रमाया है।

"इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो।" (बुख़ारी)

अल्लाह के रसूल की रात की नमाज़

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

ऐ चादर ओढ़ने वाले, रात का क़ियाम करो सिवाये कुछ हिस्से के। (सूर: अल-मुज़म्मिल)

२. हजरत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में या रमज़ान के अलावा (क़ियामुल्लैल) ग्यारह रिक्अतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अतएव आप चार रिक्अत इस तरह पढ़ते कि उनके हुस्न व तूल (लम्बाई) का क्या पूछना। फिर आप चार रिक्अत पढ़ते कि उनके हुस्न और तूल (लम्बाई) का क्या पूछना। फिर आप तीन रिक्अत पढ़ते। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप वित्र से पहले सोते भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ आइशा, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। (बुख़ारी और मुस्लिम)

३. हजरत असवद बिन यज़ीद रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हजरत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि आप रात का पहला पहर सोते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते और जब सेहरी का समय होता तो आप वित्र पढ़ते फिर अपने बिस्तर पर आते। यदि हाजत होती तो अपनी पत्नी से सहवास करते। फिर जब अज़ान सुनते तो उठते। यदि जुन्बी होते तो स्नान करते अन्यथा वुज़ू कर लेते और नमाज़ के लिए मस्जिद चले जाते। (बुख़ारी)

४. हजरत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (रात को) इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ते कि आप के पांव सूज जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता, ऐ अल्लाह के रसूल ! आप को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जबकि अल्लाह ने आप के अगले और पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यदि ऐसा है तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बन्दा न बनूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

५. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तुम्हारी दुनिया में से मेरे लिए औरतें और ख़ुशबू पसंदीदा बना दी गयी जबकि नमाज़ में मेरी आंखों की ठंडक का सामान किया गया है। (अहमद, सही)

ज़कात और इस्लाम में उसका महत्व

ज़कात का अर्थ

जकात साल में मुकर्रर हक़ है जो कुछ शर्तों के साथ नियमित लोगों पर नियमित समय में अदा करना फ़र्ज़ है।

जकात इस्लाम के महान अरकान में से एक रुक्न है जिसका उल्लेख क़ुरआन शरीफ़ में बहुत सी जगहों पर नमाज़ के साथ किया गया है।

और सभी मुसलमान उसके फ़र्ज होने पर एक मत हैं। अतएव जो व्यक्ति जानने के बाद भी उसके फ़र्ज होने का इंकार करता है तो वह काफ़िर है और इस्लाम से बाहर है। किसी ने कंजूसी की या उसमें कोई कमी की तो उसके लिए सख्त यातना और अज़ाब की चेतावनी आयी है। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं।

> और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो। (सूर: अल-बक़र:-११०)

और अल्लाह फ़रमाते हैं :

> और उन्हें आदेश दिया गया कि अल्लाह ही के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए इबादत करें और नमाज़ क़ायम करें यकसू होकर और ज़कात अदा करें और यही सच्चा दीन है। (सूर: अल-बैय्यना)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है जिनमें आपने ज़कात का उल्लेख किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत मुआज़ रज़िअल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यमन का राज्यपाल बनाकर भेजा तो फ़रमाया, यदि वे (यानी यमन वाले) तुम्हारा कहा मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके धनी लोगों से लेकर उनके फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी। (बुख़ारी)

और ज़कात अदा न करने वाले के काफ़िर हो जाने के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है।

> अतः यदि वे (काफ़िर) तौबा कर लेते हैं और नमाज़ क़ायम करते हैं और ज़कात अदा करते है तो फिर वे तुम्हारे दीनी भाई होंगे। (अत्तौबः-११)

इस आयत से मालूम हुआ कि जो व्यक्ति नमाज़ क़ायम नहीं करता और ज़कात अदा नहीं करता वह हमारा दीनी भाई नहीं हो सकता। बल्कि वह काफ़िरों में से है। इसीलिए हज़रत अबू बक्र रज़िअल्लाहु अन्हु ने नमाज़ और ज़कात में अन्तर करने वालों और नमाज़ क़ायम करने के बावजूद ज़कात न देने वालों से जंग की और सभी सहाबियों ने एकमत होकर आप का साथ दिया। अतएव उनके इस अमल की हैसियत इजमाअ की है।

ज़कात के फ़र्ज़ होने की वजह और उसकी हिकमत

ज़कात के फ़र्ज़ होने की बहुत सी वजहें, ऊँचे उद्देश्य और मस्लिहतें हैं जो किताब और सुन्नत की उन आयतों और हदीसों पर विचार करने से सामने आती हैं जिनमें ज़कात अदा करने का आदेश दिया गया है। उसकी मिसाल सूरह तौबा की वह आयत है जिसमें ज़कात के मुस्तहक़ लोगों का उल्लेख आया है। उसी तरह

वे आयतें और हदीसें जिनमें भलाई के काम में माल ख़र्च करने को प्रेरित किया गया है।

ज़कात के कुछ लाभ

१. ज़कात देने से मुसलमान के दिल पर ग़लतियों और गुनाहों से पैदा होने वाली गन्दगियाँ दूर होती हैं और कंजूसी के कारण उसकी आत्मा (रूह) पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं।

(ऐ मेरे रसूल) उनके माल से ज़कात लेकर उनको पाक और उनके नफ्स की सफ़ाई करो। (अत्तौवः-१०३)

२. ज़कात से मुहताज, ग़रीब मुसलमानों की सहायता और दिलजूई हो जाती है और वह ग़ैर अल्लाह से सवाल करने की ज़िल्लत से बच जाता है।

३. मुसलमान क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा करके उसकी परेशानी ख़त्म की जाती है और क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा हो जाता है।

४. ऐसे लोगों की जिनका ईमान कमज़ोर है सहायता करके उनके सन्देहों और वेचैनियों के कारण विखरे हुए दिलों को इस्लाम और ईमान के रिश्तों में जोड़ा जाता है। और उनमें पक्का ईमान और यक़ीन का बीज वोया जाता है।

५. इस्लाम के प्रचार-प्रसार, कुफ़्र और फ़साद को मिटाने और न्याय और इंसाफ़ का झण्डा वुलन्द करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को जंगी हथियारों से लैस करना ताकि अल्लाह की ज़मीन से कुफ़्र और शिर्क मिटाकर अल्लाह की हाकमियत और उसी का दीन क़ायम किया जाये।

६. ऐसे मुसलमान यात्रियों की सहायता करना जिसके रास्ते का खाना-पीना समाप्त हो चुका हो। उसे ज़कात में से इतना माल दिया जाये जो उसके लिए घर पहुँचने तक काफ़ी हो।

७. ज़कात अदा करने से अल्लाह तआला की इताअत और उसके आदेशों का पालन और उसकी मख़लूकों पर एहसान करने से माल पाक हो जाता है और माल बढ़ता है और हर प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रहता है।

ये कुछ उच्च स्तरीय उद्देश्य और महान मक़सद हैं जिनके तहत सदक़ा और ज़कात देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भी अनगिनत उद्देश्य हैं क्योंकि शरीअत की गुत्थियों और उसके कारणों और उद्देश्यों को केवल अल्लाह ही हल कर सकता है।

माल की ऐसी क़िस्में जिनमें ज़कात फ़र्ज़ है

चार क़िस्म की चीज़ों में ज़कात निकालना फ़र्ज़ है।

१. ज़मीन से पैदा होने वाले अनाज और फ़ल आदि जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> ऐ ईमानवालो ! अपने कमाये हुए पाकीज़ा माल से ख़र्च करो और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से (अनाज) निकाला उसमें से भी ख़र्च करो और ख़र्च करते हुए ऐसा घटिया और रद्दी माल निकालने का इरादा न करो जो यदि तुम्हें वसूल करना हो तो दिल से न चाहते हुए भी क़ुबूल करो। (अल-बक़र:-२६७)

और अल्लाह तआला फ़रमाते है :

> और उस (फ़स्ल) का हक़ कटाई के समय ही अदा करो। (अल-अन्आम-१४१)

और माल का सर्वश्रेष्ठ हक़ ज़कात है। जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

जो फ़सल वर्षा या झरनों के पानी से सींची जाये उसमें फ़सल का दसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी जबकि जिस फ़सल को खुद पानी पटाया जाये उसमें फ़सल का बीसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी। (बुख़ारी)

२. सोना चाँदी और नक़दी आदि में ज़कात फ़र्ज़ है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

और वे लोग जो सोना चाँदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी सुना दो। (अत्तौबा-३४)

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो भी सोने और चाँदी का मालिक उसकी ज़कात नहीं निकालता क़ियामत के दिन उसके लिए जहन्नम की आग से सलाखें तैयार की जायेंगी और उनको जहन्नम की आग से गर्म किया जायेगा और उसको दाग़ा जायेगा और जब वह सलाख़ें ठण्डी होंगी उन्हें दोबारा गर्म किया जायेगा यह उस एक दिन में होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा यहाँ तक कि बन्दों का हिसाब न कर दिया जाये।

३. व्यापार का माल

इससे अभिप्राय ज़मीन, जानवर, सामान, खाद्य सामग्री और गाड़ी जैसी हर वह वस्तु जो व्यापार के उद्देश्य से तैयार की जाये। अतएव हर साल की समाप्ति पर उसका मालिक उस माल के

मूल्य का अनुमान लगाये और उस अनुमानित मूल्य का ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाले, चाहे यह राशि उसके ख़रीद मूल्य के बराबर हो या उससे कम या ज़्यादा हो। उसी तरह जनरल स्टोर, मोटर हाउस और स्पेयर पार्टस आदि के मालिकों को चाहिए कि वह अपनी दुकानों में मौजूद सामानों की हर छोटी-वड़ी चीज़ की गिनती करे और असम्भव हो तो एहतियात के साथ इस तरह से ज़कात निकाले जिससे वे जिम्मे से बच सके।

४. जानवर और मवेशी

जिसमें ऊँट, गाय, बकरी और मेढ़ा शामिल हैं। शर्त यह है कि (अ) वे जावनर चरागाहों में चरने वाले हों, (ब) दूध या गोश्त के लिए तैयार किये गये हों, (स) ज़कात के निसाब की हद तक जा पहुँचे।

चरने वाले जानवरों से अभिप्राय वे जानवर हैं जो पूरा साल या साल के अधिकांश हिस्सों में चरागाहों की घास-फूस पर गुज़र-बसर करते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं यानी उन्हें अधिकांश दिनों में चारा मुहय्या करना पड़ता हो तो फिर केवल उस समय उनमें ज़कात फ़र्ज़ होगी जब वे व्यापारिक उद्देश्य से तैयार किये जायें।

अतएव यदि ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए तैयार किये गये हों तो उनके व्यापार का माल होने के लिहाज़ से ज़कात निकाली जायेगी चाहे वे चरागाहों में चरने वाले हों या ख़ुद चारा मुहैय्या करके पाले जायें।

ज़कात के निसाब की मात्रा

१. अनाज और फल

उसका निसाब पाँच वसक़ है जो कि ७५० किलोग्राम अच्छे गेहूँ

के बराबर है। अतएव यदि अनाज या फल ७५० किलोग्राम तक पहुँच जायें तो यदि वह फ़सल नहरों या वर्षा के पानी से सींची गयी हो तो उसमें से दसवां भाग और यदि वह फ़सल मेहनत और परिश्रम से सींची गई हो तो उसमें से २०वां भाग ज़कात निकाली जायेगी।

२. नक़दी और क़ीमती धातु आदि

(अ) सोने के निसाव: वीस दीनार है जोकि ८७ ग्राम के बराबर है अतएव यदि सोने का वज़न सत्तासी ग्राम या उससे ज़्यादा हो तो उसकी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(ब) चांदी का निसाब : पांच अवाक़ है जो कि ५९५ ग्राम के बराबर है यदि चांदी ५९५ ग्राम या उससे ज्यादा हो तो उसमें से भी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(स) क्रेंसी आदि : यदि सोने या चांदी के निसाब के बराबर या उससे अधिक हो तो उसमें भी ढ़ाई प्रतिशत निकालनी होगी।

३. व्यापार का माल

उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाये। अतएव यदि सोने या चांदी के निसाब के बरावर या उससे ज्यादा हो तो उससे भी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाली जायेगी।

४. मवेशी

(अ) ऊँट: ऊँटों का कम से कम निसाब ५ ऊँट है जिसके लिए एक बकरी ज़कात में निकाली जायेगी।

(ब) गाय: गाय का कम से कम निसाब तीस गाय है जिसके लिए एक साल का गाय का वछड़ा ज़कात के तौर पर निकाला जायेगा।

(स) बकरी: बकरी का कम से कम निसाब चालीस बकरियाँ हैं जिनमें से एक बकरी ज़कात निकाली जायेगी।

और अधिक जानकारी के लिए हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में देखिये।

ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्तें

किसी व्यक्ति पर ज़कात उस समय फ़र्ज़ होती है जब निम्नलिखित शर्तें पायी जायें :

१.इस्लाम में काफ़िर और मुशरिक पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं और न ही उससे क़ुबूल होती है।

२. सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार : यानी जिस माल से ज़कात निकाली जाये उस पर पूरा-पूरा मालिकाना अधिकार हो। उसे जैसे चाहे प्रयोग में लाये अन्यथा कम से कम उसके हासिल करने का सामर्थ्य रखता हो।

३. माल ज़कात के निसाब तक पहुँच जाये: यानी माल इतना हो जो शरीअत द्वारा तय की गयी मात्रा या उससे अधिक हो। और यह मात्रा अलग-अलग माल पर अलग-अलग है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ मालों का अनुमान लगाकर और शेष वस्तुओं में निम्न मात्राओं पर ज़कात है।

४. साल बीत जाना: वह यह कि निसाब की सीमा तक माल मिलकियत में आये हुए साल पूरा हो चुका हो। लेकिन ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों की ज़कात उसकी कटाई के समय निकाली जायेगी। इसी तरह चरागाहों में पलने वाले जानवरों की पैदावार और व्यापार के माल से प्राप्त होने वाले मुनाफ़े पर ज़कात साल पूरा होने पर उनके असल के साथ निकाली जायेगी।

५. संप्रभुता: क्योंकि किसी ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं और वह इसलिए कि ग़ुलाम किसी चीज़ की मिलकियत रखने का हक़ नहीं रखता वल्कि उसका माल उसके मालिक की मिलकियत होता हैं।

वे लोग जो ज़कात के मुस्तहक़ हैं

ज़कात के मुस्तहक़ लोगों को अल्लाह तआला ने खुद तय कर दिया है। अतएव फ़रमाते हैं :

"ज़कात के मुस्तहक़ लोग केवल वे हैं, जो फ़क़ीर, मिस्कीन और ज़कात पर काम करने वाले हों और जिनका दिल रखना मक़सूद हो और ग़ुलाम आज़ाद कराने, क़र्ज़दार, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और मुसाफ़िर। यही अल्लाह की ओर से किया गया फ़रीज़ा है। और अल्लाह तआला खूब जानता और बुद्धिमान है।" (अत्तौब:-७०)

अल्लाह तआला ने इस आयत में आठ क़िस्म के जिन लोगों पर ज़कात ख़र्च करने का आदेश दिया हैं वह निम्नलिखित हैं :

१. **फ़क़ीर:** इससे अभिप्राय वह व्यक्ति है जो अपनी ज़रूरतों का आधा या उससे भी कम का मालिक हो। और फ़क़ीर मिस्कीन की तुलना में अधिक ज़रूरतमन्द है जैसाकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में फ़रमाया :

"जवकि कश्ती (नाव) ऐसे मिस्कीनों की थी जो समुद्र में काम करते थे।" (अल-कहफ़-७९)

अतएव अल्लाह तआला ने उन लोगों को नाव का मालिक होने के वावजूद मिस्कीन का नाम दिया है।

२. **मिस्कीन** : ऐसा मुहताज जो फ़क़ीर की तुलना में बेहतर हालत में हो जैसेकि किसी को दस रूपये की ज़रूरत हो, उसके पास

केवल सात या आठ रूपया हो। फ़क़ीर और मिस्कीन को इतनी ज़कात देनी चाहिए जो उनकी साल भर की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो। क्योंकि ज़कात साल में केवल एक बार अदा करनी होती है। इसलिए मुहताज अपनी साल भर की ज़रूरतों के अनुसार ज़कात ले सकता है। काफ़ी होने से मुराद खाने, पीने, पहनने और रहने-सहने की वह आवश्यकतायें उपलब्ध कराना है जिनके विना गुज़ारा न हो सके। अतएव दी जाने वाली ज़कात इतनी हो कि उसके फ़ुज़ूल ख़र्ची या तंगदस्ती से काम लिए विना ज़कात वाले की हैसियत के मुताबिक़ उसकी और उसके परिजनों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें। और ये ऐसी चीज़ें है जो समय, आबादीं और व्यक्ति के लिहाज से बदलती रहती हैं। अतएव जो माल एक स्थान के लिए एक साल के लिए काफ़ी है वह दूसरे स्थान के लिहाज से नाकाफ़ी हो सकता है। इस तरह जो राशि दस साल पहले काफ़ी समझी जाती थी वह आज के दौर में नाकाफ़ी हो सकती है। इस तरह जो चीज एक व्यक्ति के लिए प्रर्याप्त हो वह दूसरे व्यक्ति के लिए उसके बाल-वच्चों या ख़र्चा आदि के अधिक होने के कारण अप्रर्याप्त हो सकती है। बीमार का इलाज, कुंवारे का विवाह और आवश्यकतानुसार इल्मी पुस्तकें भी इसमें शामिल हैं। ज़कात पाने वाले उन फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए यह शर्त है कि :

वह मुसलमान हो, अतएव नमाज़ न पढ़ने वाले, क़ब्र परस्त, ग़ैर अल्लाह को पुकारने वाले और मज़ारों पर नज़र व नियाज़ चढ़ाने वाले मुशरिक लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं क्योंकि क़ुरआन और हदीस की रोशनी में ऐसे लोग काफ़िर हैं। और वह बनी हाशिम और उनके ग़ुलामों में से न हों और न उन लोगों में से हों जिनका ख़र्च ज़कात देने वाले पर हो। जैसे माता-पिता, सन्तान

और पत्नियाँ आदि। और न ही वे स्वस्थ्य तथा रोजगार से लगे हुए लोगों में से हों क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

जकात में किसी मालदार या ताक़तवर वारोजगार का कोई हक़ नहीं। (अहमद, अबू दाऊद, नसाई)

३. जकात इकट्ठी करने वाले

ये वे लोग हैं जिन्हें हाकिम या उनका सहयोगी जकात इकट्ठी करने, उसकी सुरक्षा करने और उसे वाटने की जिम्मेदारी सौंपता है। जिसमें जकात वसूल करने, उसकी रखवाली करने, उसका हिसाव-किताव करने, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे वाटने के कामों में शामिल हैं। जकात का आमिल यदि मुसलमान, वालिग, अमानतदार और फ़र्ज पहचानने वाला है तो उसे उसके काम के मुताबिक़ जकात दी जायेगी। चाहे वह मालदार ही क्यों न हो। लेकिन यदि वह वनी हाशिम में से है तो फिर उसे जकात देना जायज नहीं। जैसाकि अब्दुल मुत्तलिव विन रवीआ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

निःसन्देह सदक़ा (जकात) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सन्तानों के लिए हलाल नहीं। (मुस्लिम, सही)

४. दिल रखने के लिए

इससे अभिप्राय वे लोग है जो अपने क़वीलों के हाकिम हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो। (अतएव उसे इस्लाम के निकट लाने के लिए जकात में से कुछ दिया जा सकता है) या उसके ईमान को और शक्ति देने या उसकी वजह से दूसरे लोगों

का इस्लाम क़ुबूल करना मक़सूद हो या कम से कम उसकी दुष्टता से मुसलामानों को सुरक्षित रखना हो तब भी उन्हें ज़कात दी जा सकती है और ऐसे लोगों का ज़कात में हिस्सा मंसूख़ नहीं हुआ बल्कि यह हिस्सा बाक़ी है और उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जिससे उनके दिल को रखा जाये और इस्लाम की नुसरत और रक्षा हो सके। अतएव ज़कात का यह माल काफ़िरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की जंग से मिलने वाले ग़नीमत के माल में से सफ़वान बिन उमैय्या को कुछ हिस्सा दिया। (मुस्लिम)

इसी तरह यह मद मुसलमानों के लिए भी लगाया जा सकता है जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफ़ियान बिन हरब, अक़राअ बिन जाबिस और उयैना बिन हिस्न को सौ-सौ ऊँट दिये। (मुस्लिम)

५. गर्दनें आज़ाद करने के लिए

जिसमें ग़ुलाम आज़ाद करना, मुकातब (ऐसा ग़ुलाम जो अपने आपको अपने आक़ा से कुछ माल के बदले आज़ाद करवाना चाहता हो) की मदद करना और दुश्मन की क़ैद से जंगी क़ैदियों को रिहा कराना शामिल है। क्योंकि यह अमल किसी क़र्ज़दार का क़र्ज़ उतारने के समान या उससे भी बढ़कर है क्योंकि ऐसे क़ैदी के मुर्तिद हो जाने या उसकी हत्या किये जाने का ख़तरा होता है।

६. क़र्ज़ लेने वाले

ऐसे क़र्ज़दारों के लिए जिन्होंने क़र्ज़ लिया हो और उसे वापस करना हो लेकिन क़र्ज़ उतारने के लिए उनके पास रक़म न हो

जकात दी जा सकती है।

क़र्ज की दो क़िस्में हैं।

(अ) कोई व्यक्ति अपनी जायज जरूरत के लिए जैसे कपड़ों की जरूरतें, शादी, इलाज, मकान बनाने, जरूरी घरेलू सामानों की ख़रीदारी के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर देने की वजह से वह ऋणि हो चुका हो अतएव यदि वह क़र्जदार फक़ीर है और उसके पास क़र्ज उतारने का सामर्थ्य नहीं है तो उसे जकात में से इतना माल दिया जा सकता है जिससे उसका क़र्ज अदा हो जाये। लेकिन शर्त यह है कि वह मुसलमान हो और उसने क़र्ज किसी हराम काम के लिए न लिया हो और न ही उसे क़र्ज तुरन्त अदा करना हो। और यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का क़र्जदार हो जो उससे माँग कर रहा हो। और उसका क़र्ज कफ्फारा या जकात आदि जैसे अल्लाह के हक़ से सम्बन्धित न हो।

(ब) क़र्ज की दूसरी क़िस्म यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लाभ के लिए क़र्ज ले तो उसे भी जकात दी जा सकती है ताकि वह अपना क़र्ज उतार सके। जिसकी दलील हजरत क़बीसा अल-हिलाली की हदीस है। फ़रमाते हैं कि मैंने किसी की जमानत ले ली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि उनसे सहायता हासिल कर सकूँ। तो मुझे फ़रमाया कि उस समय तक प्रतीक्षा करो जब तक सदक़ा और ख़ैरात का माल आ जाये तो हम तुम्हें उसमें से दिलवा देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन तरह के आदमियों के सिवा किसी के लिए सवाल करना जायज नहीं। एक वह व्यक्ति जिसने किसी की जमानत ली हो। उसके लिए उस समय तक सवाल करना जायज है जब तक वह अपनी जमानत पूरी नहीं

कर देता, उसके वाद मांगना वन्द कर दे। दूसरा वह व्यक्ति जिसे कोई ऐसी आफ़त आ पहुँची हो जिससे उसकी धन-सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो। तो उसके लिए भी उस समय तक सवाल करना जायज़ है जब तक उसे रोज़ी उपलव्ध नहीं हो जाती। और तीसरा वह व्यक्ति जिसको भूख से मरने की नौवत आ जाये। यहाँ तक कि उसके क़ोम के तीन वुद्धिमान व्यक्ति इस वात की गवाही दें कि अमुक व्यक्ति की भूख से मरने की नौवत है अत: उसके लिए मांगना सही है यहाँ तक कि उसे इतना मिल जाये जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये। ऐ लोगो, इन तीन सूरतों के अलावा सवाल करना हराम है और ऐसा सवाल करने वाला हराम खाता है। (मुस्लिम)

उसी तरह किसी मृत व्यक्ति का क़र्ज़ भी अदा किया जा सकता है क्योंकि क़र्ज़दार का क़र्ज़ उतारने के लिए उसे दी जाने वाली ज़कात उसके हवाले करना ज़रूरी नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने क़र्ज़दार का ज़कात में हिस्सा रखा है न कि उसे ज़कात का मालिक क़रार दिया है।

७. अल्लाह के रास्ते में

अर्थात ऐसे लोगों के लिए जो स्वंय जिहाद कर रहे हों और सरकार की ओर से उनके लिए कोई सेवा-राशि तय न हो। सीमाओं की रक्षा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसेकि युद्ध भूमि में लड़ने वाले हों। ज़कात के उस मद में फ़क़ीर और मालदार सभी शामिल हैं। लेकिन उसमें वचे खुचे जन-कल्याण के काम शामिल नहीं हो सकते। अन्यथा आयत मुवारक में शेप कार्यों का इस तरह उल्लेख करना उचित न था। क्योंकि उपरोक्त चीज़ों की गिनती भी जन-कल्याण के कामों में आती है।

अल्लाह के रास्ते में जिहाद का मार्ग बहुत व्यापक है। इसमें लोगों के वैचारिक प्रशिक्षण, दुष्टों की दुष्टता की रोक थाम, गुमराह करने वालों द्वारा उत्पन्न सन्देहों की रोक-थाम और वातिल दीनों को रद्द करना शामिल है। इसके अलावा अच्छी लाभप्रद इस्लामी किताबों के प्रचार व प्रसार और नसरानियों और दुनियादारों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए मुख़लिस और अमीन लोगों की कोशिशों को काम में लाना भी शामिल है। जैसेकि अबूदाऊद में सही प्रमाणों से उल्लिखित हदीस है कि मुशरिकों से अपने माल, जान और ज़ुबान से जिहाद करो।

८. मुसाफ़िर

यहाँ अभिप्राय ऐसे यात्री है जो अपनी किसी जायज़ ज़रूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित होते है और उनके रास्ते का सामान समाप्त हो जाने पर कहीं से क़र्ज आदि भी हासिल नहीं कर सकते तो उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जो उनके घर पहुँचने तक काफ़ी हो। यदि ऐसा यात्री किसी जगह कहीं ठहरता है तो भी उसे ज़कात दी जा सकती है।

ज़कात बांटते समय उन आठ किस्मों को शामिल करना ज़रूरी नहीं वल्कि हाजत और ज़रूरत के तहत हुक्मराँ और उसका सहयोगी या ज़कात देने वाला अपने विवेक से काम लेते हुए उनमें से कुछ मदों पर ही ख़र्च कर सकता है।

जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती

निम्नलिखित लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती।

१. ऐसे लोग जो मालदार, स्वस्थ्य, शक्तिशाली और रोज़गार से लगे हुए हों।

२. जकात देने वाले के माता-पिता और उसकी पत्नी और जिनके ख़र्चे का वह जिम्मेदार हो।

३. ग़ैर मुस्लिम जिनमें वेनमाज, मुशरिक और वेदीन सभी सम्मिलित हैं।

४. नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाल-वच्चों को (अर्थात वनी हाशिम को)

यदि जकात देने वाले के माता-पिता और वाल-वच्चे फ़क़ीर हों और किसी वजह से उन पर ख़र्चा न कर सकता हो तो उस स्थिति में उस पर ऐसे लोगों का ख़र्चा वाजिव न होने के कारण वह उन्हें जकात दे सकता है।

जवकि माता-पिता और वीवी बच्चों के अलावा सभी सगे सम्वन्धियों को जकात दी जा सकती है। इस तरह यदि बनू हाशिम ग़नीमत का माल और फ़ई का पांचवा हिस्सा वसूल न कर पाते हों तो जरूरत और आवश्यकता को देखते हुए उन्हें भी जकात दी जा सकती है।

जकात अदा करने के लाभ

१. अल्लाह और रसूल के आदेशों का पालन और अल्लाह और उसके रसूल की मुहव्वत को नफ़्स पर या माल की मुहब्बत पर तरजीह (वरीयता) देना।

२. मामूली अमल के मुक़ावले में उससे कई गुना अधिक सवाव का मिलना। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं।

> वे लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उनके इस ख़र्चा की मिसाल उस दाने की है जिससे सात

वालियाँ उगीं । हर वाली में सौ दाने हों । अल्लाह तआला जिसे चाहते हैं कई गुना वढ़ा देते हैं । (अल-वक़र:-२६१)

३. सदक़ा और ज़कात ईमान की दलील और उसका सवूत है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ।

सदक़ा (ईमान का) सवूत है । (मुस्लिम)

४. गुनाह और वुरे अख़्लाक़ से वचने का कारण । अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

उनके माल से सदक़ा वसूल करके उन्हें (गुनाहों से) पाक व साफ़ करो । (अत्तौव:-१०३)

५. माल में ख़ैर और वरकत पैदा होती है । और नुक्सानों से सुरक्षित हो जाता है । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

सदक़ा करने से कभी माल कम नहीं होता । (मुस्लिम)

और अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

और जो चीज भी तुम अल्लाह के राह में ख़र्च करते हो तो अल्लाह तआला उसका बदला प्रदान कर देते हैं । और वही वेहतरीन रोज़ी देने वाले हैं । (सवा-३९)

६. सदक़ा करने वाला क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साये में रहेगा । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

"क़ियामत के दिन जव किसी चीज का साया नहीं होगा उस दिन सात प्रकार के लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीव होगा । उनमें एक वह व्यक्ति भी है जिसने इस तरह से छुपाकर सदक़ा दिया कि उसके वायें हाथ को मालूम नहीं

कि उसके दायें हाथ ने सदक़ा किया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

७. सदक़ा अल्लाह की रहमत की वजह वनता है अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> और मेरी रहमत हर चीज से व्यापक है जिसे मैं ऐसे लोगों का मुक़द्दर बनाऊँगा जो मुझसे डरते हों ओर ज़कात अदा करते हों। (अल-आराफ़-१५६)

ज़कात न देने वालों को सज़ा

ज़कात न देना बहुत वड़ा अपराध है और ज़कात से मना करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाव की चेतावनी है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> उन लोगों को दर्दनाक अज़ाव की सूचना दे दो जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते। एक दिन आयेगा कि उसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकायी जायेगी। और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जायेगा और कहा जायेगा, यही वह ख़ज़ाना है जो तुमने अपने लिये जमा किया था। लो अव अपनी जमा की हुई दौलत का मज़ा चखो। (अत्तौब:-३४,३५)

२. मुसनद अहमद और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। जो दौलतमन्द व्यक्ति अपनी दौलत की ज़कात नहीं निकालता तो क़ियामत के दिन उसकी उसी दौलत की तख़्तियां वनाकर जहन्नम की आग में गर्म की जायेंगी। फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जायेगा। यह ऐसे

दिन में होगा जो पचास हजार साल के बराबर होगा। यहाँ तक कि अल्लाह तआला बन्दों का हिसाब कर लें। उसके बाद उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाया जायेगा।

३. हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसको अल्लाह तआला ने माल दिया हो और उसकी उससे ज़कात अदा न की हो तो क़ियामत के दिन उसका माल गंजे साँप की शक्ल में जिसकी आँखों में दो विन्दू होंगे, उसके गले का तौक़ बन जायेगा। फिर उसकी दोनों बाछें पकड़कर कहेगा। मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। (बुख़ारी)

फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की।

> जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा से माल दिया है वह उसमें कंजूसी (और बुख़ालत) से काम लेते हैं तो अपने लिये यह बुख़्ल बेहतर न समझें बल्कि यह उनके हक़ में बहुत बुरा है। बहुत जल्द क़ियामत के दिन उनका यह माल जिसमें बुख़्ल करते हैं, उनके गले का तौक़ बनाया जायेगा। (आल-इमरान-१८०)

४. उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो भी ऊँट, गाय या बकरियों का मालिक अपने उन जानवरों की ज़कात नहीं निकालता वह जब क़ियामत के दिन (अल्लाह तआला के यहाँ) आयेगा तो उसके ये जानवर बहुत बड़े और मोटे हो चुके होंगे। उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने (पाँव) से रौंदेंगे। जब सब जानवर उसके ऊपर से गुज़र जायेंगे तो दो बारह फिर पहले वाले जानवर आ जायेंगे। यह उस दिन होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा। यहाँ तक कि लोगों का हिसाब पूरा हो जायेगा। (मुस्लिम)

ज़रूरी बातें

१. जकात के आठ मदों में से किसी एक मद में भी जकात दे देना काफ़ी है और शेष मदों में बाँटना ज़रूरी नहीं।

२. क़र्ज़दार को इतनी ज़कात दी जा सकती है जिससे उसका सभी क़र्ज़ या उसका कुछ हिस्सा अदा हो जाये।

३. जकात किसी काफ़िर या मुर्तिद को देना जायज़ नहीं। जैसाकि बेनमाज़ी है क्योंकि वह क़ुरआन और हदीस की रू से काफ़िर है। लेकिन यदि उसे इस शर्त पर ज़कात दी जाये कि वह नमाज़ की पाबन्दी करेगा तो इस हालत में जायज़ है।

४. जकात किसी मालदार को देना जायज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसमें किसी मालदार या शक्तिशाली या रोज़गार से लगे हुए लोगों का कोई हक़ नहीं। (अबू दाऊद)

५. कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को जकात नहीं दे सकता जिनके ख़र्चे उठाना उस पर वाजिब हो। जैसे माता-पिता और बीवी बाल-बच्चे।

६. यदि किसी महिला का पति फ़क़ीर हो तो वह उसे जकात दे सकती है। जैसे हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु की पत्नी ने अपने पति हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़िअल्लाहु अन्हु) को जकात दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने पर बरक़रार रखा।

७. बिना जरूरत एक मुल्क से दूसरे मुल्क जकात को स्थानान्तरित करना जायज़ नहीं। लेकिन जिस देश से जकात देने

वाले का ताल्लुक हो वहाँ कोई मुहताज न हो या दूसरे देशों में अकाल हो या मुजाहिदों की सहायता करना हो तो इस प्रकार की मस्लिहतों को देखते हुए स्थानान्तरित की जा सकती हैं।

८. यदि किसी व्यक्ति का माल जकात के निसाव तक पहुँच जाये लेकिन वह स्वंय किसी दूसरे देश में हो तो उसे उपरोक्त परिस्थितियों के सिवा उसी देश में जकात निकालनी चाहिए जिसमें उसका माल हैं।

९. फ़क़ीर को इतनी जकात दी जा सकती हैं जो उसे कई महीनों या एक साल तक के लिए काफी हो।

१०. माल यदि सोना, चाँदी, नक़दी, जेवरात या किसी भी दूसरी शक्ल में है उसमें हर परिस्थिति में जकात फ़र्ज है। क्योंकि उसकी फ़रजियत में आने वाली दलीलें सामान्य और विना विस्तार के आयी हैं। हालाँकि कुछ आलिम फ़रमाते हैं कि पहने जाने वाले जेवरों पर जकात फ़र्ज नहीं है परन्तु प्रथम कथन वेहतर है और एहतियात भी उसी पर अमल करने में हैं।

११. इंसान ने जो कुछ अपनी जरूरतों के लिए तैयार किया हो जैसाकि खाने-पीने के सामान, मकान, जानवर, गाड़ी और कपड़े आदि। ऐसी चीजों में जकात फ़र्ज नहीं होती जैसाकि नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: किसी मुसलमान पर उसके ग़ुलाम या घोड़े में जकात वाजिब नहीं। (वुख़ारी व मुस्लिम)

लेकिन जैसे पहले कहा जा चुका है कि सोने और चाँदी के जेवरात इस आदेश में नहीं आते।

१२. किराये पर दिये जाने वाले मकान, और गाड़ियों के किराये की रक़म पर यदि साल वीत चुका हो तो उस पर भी जकात

निकालना होगी चाहे वह राशि खुद ही इतनी हो कि ज़कात के निसाव को पहुँच जाये या दूसरा माल साथ मिलाने से पहुँचे। (ज़कात के ये मसले शेख अब्दुल्लाह बिन अल क़ुसय्यर के रिसाले से मामूली बदलाव के साथ लिये गये हैं)

रोज़ा और उसके फ़ायदे

रोज़ा एक अज़ीम (श्रेष्ठ) इबादत है जिसकी फ़ज़ीलत और महत्व निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

ऐ ईमानवालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये हैं जैसाकि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे ताकि तुम परहेज़गार बन सको। (अल-बक़र:-१८३)

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

रोज़ा (आग) से ढाल है। (बुख़ारी)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े ईमान रखते हुए और अज्र और सवाब के लिए रखता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने में ६ रोज़े रखता हो वह ऐसे है जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे हों। (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. जिस व्यक्ति ने रमज़ान (की रातों) में ईमान रखते हुए और अज्र और सवाब की प्राप्ति के लिए क़ियाम किया (यानी तरावीह पढ़ी) उसके सभी पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम भाईयो ! आप को मालूम होना चाहिए कि रोज़ा बहुत से फ़ायदों पर आधारित इबादत है।

१. रोज़ा रखने से पाचन क्रिया और आँतों को लगातार काम करने से कुछ आराम मिलता है और वेकार माद्दे ख़त्म हो जाते हैं। शरीर शक्तिशाली होता है और बहुत सी दूसरी वीमारियों का इलाज हो जाता है। इसके अलावा सिगरेट पीने वालों को सिगरेट से बाज़ रखता है और सिगरेट से छुटकारे में सहायता मिलती है।

२. रोज़ा से इंसान के नफ़्स में सुधार होता है और उससे इताअत और धैर्य व संयम की आदत पैदा होती है।

३. रोज़ेदार का अपने दूसरे रोज़ेदार भाईयों से बराबरी का एहसास पैदा होता है। अतएव जब वह उनके साथ मिलकर ही रोज़ा रखता और इफ़्तार करता है तो इस्लामी एकता का ख़्याल पैदा होता है और जब उसे भूख लगती है तो उसे भूखे और मुहताज भाईयों की सहायता करने का एहसास पैदा होता है।

रमज़ान के महीने में आप के कर्तव्य

मुस्लिम भाईयो ! आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने हमारे ऊपर रोज़ा अपनी इबादत के लिए फ़र्ज़ किया है। जिसे स्वीकार्य और लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित अमल को अपनाना चाहिए।

१. नमाज़ों की पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि बहुत से रोज़ादार नमाज़ पढ़ने से ग़फ़लत बरतते हैं। हालांकि वह दीन का सुतून है जिसे छोड़ने वाला काफ़िर है।

२. अच्छे अख़्लाक़ का प्रदर्शन कीजिए और रोज़ा रखने के बाद कुफ़्र और दीन को बुरा कहने और रोज़ा की वजह से लोगों से वदसलूकी करने से वचिए। क्योंकि रोज़ा बुरा मामला सिखाने के वदले इंसानी नफ़्स की इस्लाह करता है और कुफ़्र मुसलमान को

इस्लाम से ख़ारिज कर देता है।

३. हँसी मज़ाक़ करते हुए भी बेहूदा बातें न करें क्योंकि उससे रोज़ा बरबाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब तुममें से कोई रोज़े की हालत में हो तो गाली-गलौच और बेहूदा बातें न करे यहाँ तक कि यदि कोई उससे झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. रोज़ा से लाभ उठाते हुए सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि सिगरेट कैंसर और अलसर जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं। और आप को चाहिए कि अपने को साहसी और आत्मविश्वासी इंसान बनायें। अतएव अपनी सेहत और माल की सुरक्षा करते हुए इफ़्तार के बाद भी ऐसे ही सिगरेट पीने से बचे रहिए जैसे रोज़ा की अवस्था में थे।

५. रोज़ा इफ़्तार करते समय ज़्यादा खाना मत खाईये क्योंकि रोज़ा उससे बेसूद हो जाता है और स्वास्थ के लिए हानिकारक है।

६. सिनेमा और टी॰ वी॰ देखना अख़्लाक़ बिगाड़ने वाली और रोज़ा को नकारने वाली चीज़ें हैं इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहिये।

७. रात को देर तक जागकर सेहरी और फ़ज्र की नमाज़ को बरबाद न करें। और सुबह सवेरे अपने काम में व्यस्त हो जायें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के समय में बरकत पैदा फ़रमा दे। (अहमद, तिरमिज़ी, सही)

८. सगे-सम्बन्धियों और मुहताज लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व ख़ैरात करो और लड़ाई-झगड़ा करने वालों के बीच सुलह कराओ।

९. अधिकता से अल्लाह का ज़िक्र, क़ुरआन करीम की तिलावत करने, कुरआन सुनने, उसके अर्थ पर विचार करनें और उन पर अमल करने में अपना समय व्यतीत करें। किसी मस्जिद आदि में यदि मुफ़ीद दर्स हो तो ऐसी इल्मी मजलिसों में वैठने की कोशिश करें जबकि रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में मस्जिदों के अन्दर एतिकाफ़ पर वैठना सुन्नत है।

१०. आपको चाहिए कि रोज़ा के मसायल जानने के लिए उससे संबन्धित पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको मालूम होगा कि भूल से खाने-पीने से रोज़ा नहीं टूटता। उसी तरह आप के लिए जुन्बी (सहवास के बाद) की स्थिति में सेहरी खाना और रोज़ा की नीयत करना जायज़ है। हालांकि तहारत और नमाज के लिए जनाबत से स्नान करना ज़रूरी होता है।

११. रमज़ान के रोज़ों की पाबन्दी करें और बिना कारण रोज़ा इफ़्तार न करें और जो व्यक्ति जान-वूझ कर रोज़ा छोड़ देता है उसे उस दिन की क़ज़ा देनी होगी। और जो व्यक्ति रमज़ान में रोज़ा की हालत में पत्नी से सहवास कर लेता है तो उसे उसका कफ़्फ़ारा देना होगा। जो यह है कि वह एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा यदि न मिल सके तो दो माह के लगातार रोज़े रखेगा। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।

मुस्लिम भाईयो ! रमज़ान में खुले आम रोज़ाखोरी ऐसा अपराध है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ साहस दिखाने, इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाने और लोगों में वुराई और वेहयाई फैलाने के समान है। आप को मालूम होना चाहिए कि रोज़ाख़ोरों के लिए ईद नहीं है क्योंकि ईद खुशी का वह महान उत्सव है जो रोज़ा पूरे होने और इवादत स्वीकार होने पर मनाया जाता है।

रोज़ा से सम्बन्धित हदीसें

१. रमज़ान की फ़ज़ीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है :

> जब रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। और शैतान जकड़ दिये जाते हैं। एक रिवायत में है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. और सुनन तिरमिज़ी में आता है कि रमज़ान के मुबारक महीने में प्रत्येक रात मुनादी आवाज़ लगाता है कि ऐ भलाई चाहने वाले नेकी और भलाई के लिए लपक आ। ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई करने से बाज़ आ जा। और उसके आख़िर तक अल्लाह तआला अपने (नेक) बन्दों को जहन्नम से आज़ाद करते रहते हैं। (मिशक़ात में अलबानी ने इसे हसन क़रार दिया है)

३. हदीस में आता है कि किसी नेक आदमी के प्रत्येक नेक काम का सवाब दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोज़े के सवाब के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूँगा क्योंकि रोज़ादार अपनी इच्छाओं और खाना-पीना केवल मेरे लिए छोड़ता हैं। (बुख़ारी)

रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ हासिल होती हैं एक ख़ुशी रोज़ा इफ़्तार करते हुए, दूसरी ख़ुशी अपने रब से मुलाक़ात करते हुए। और रोज़ेदार के मुँह की दुर्गन्ध अल्लाह तआला के यहाँ मुश्क की सुगन्ध से भी अधिक प्रिय हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. जुबान की सुरक्षा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जो व्यक्ति रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से बाज़ नहीं आता तो ऐसे व्यक्ति के खाना-पीना छोड़ने की अल्लाह कोज़रूरत नहीं।

सेहरी और इफ़्तारी के आदाब

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :

१. जब कोई इफ़्तारी करना चाहे तो उसे ख़जूर से रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए। क्योंकि यह बरकत वाली चीज़ है। और यदि ख़जूर न मिले तो फिर पाकीज़ा पानी ही काफ़ी है। (तिरमिज़ी मुहक्क़िक जामे उसूल के मुताबिक़ इस हदीस की सनद सही है।)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है :

"सेहरी किया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

"लोग उस समय तक बेहतरी और भलाई में हैं जब तक वे इफ़्तारी में जल्दी करते हैं।" (यानी सूर्यास्त होते ही रोज़ा इफ़्तार कर लेते हैं) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ़्तारी करते तो यह दुआ पढ़ते।

ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और अब तेरे ही दिये हुए रिज़्क़ पर इफ्तारी कर रहा हूँ। प्यास जाती रही, रगें तर हो गयीं और रोज़े का सवाब साबित हो गया। (अबू दाऊद)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर महीने में तीनं दिन के और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना पूरे साल रोज़ों के बराबर है। और अरफ़ात के दिन (९ ज़िलहिज्जा) का रोज़ा रखने से अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वह पिछले और एक अगले साल के गुनाह माफ़ कर देगा। और आशूरा के दिन (दस मुर्हरम) का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (मुस्लिम)

२. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यदि मैं अगले वर्ष तक जीवित रहा तो आशूरा के दिन के साथ नवीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा।

अतएव ९ और १० मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। हज करने वालों के लिए ९ ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना सुन्नत नहीं।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार और वृहस्पतिवार के रोज़ों के बारे मे पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये वे दो दिन हैं जिनमें इंसान के कर्म अल्लाह तआला के यहाँ पेश किये जाते है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने मेरे कर्म रोज़े की हालत में पेश हों। (नसाई, हसन, अल-मुन्जरी)

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। (बुखारी व मुस्लिम)

५. हज़रत आइशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा कभी भी

किसी पूरे महीने में रोज़े नहीं रखे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

६. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से अधिक किसी महीने में रोज़े न रखते थे। यानी आप सबसे अधिक नफ़्ली रोज़े शाबान में ही रखा करते। (बुख़ारी)

हज और उमरा की फ़ज़ीलत

हज इस्लाम का श्रेष्ठ रुक्न है जो बहुत फ़ज़ीलत और महत्व रखता है।

१. अल्लाह तआला फ़रमाता है :

और जो लोग अल्लाह के घर तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हों उन पर अल्लाह के घर का हज करना फ़र्ज़ है और जो व्यक्ति इंकार करता है तो अल्लाह तआला समस्त संसारों से ग़नी है। (आल-इमरान-९७)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि एक उमरा के बाद दूसरा उमरा करना गुनाह माफ़ होने का सबब बनता है और क़ुबूल होने वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

* मक़बूल हज वह होता है जो सुन्नत के मुताबिक़ हो और गुनाहों और बुराईयों से पाक हो।

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

"जो व्यक्ति बेहूदा बातों और गुनाहों से दूर रहते हुए हज करता है वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया हो।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

४. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

"मुझसे हज के आमाल सीखो।" (मुस्लिम)

५. मुसलमान भाईयो ! आपको जब भी इतना माल मुहैया हो जाये कि हज के लिए जाने और आने के ख़र्चे पूरे हो सकें तो फिर

यथाशीघ्र हज का फ़र्ज अदा करने की कोशिश कीजिए। और आपको तोहफ़े आदि ख़रीदने के लिए माल इकट्ठा करने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ों की अल्लाह तआला के यहाँ कोई क़ीमत नहीं। इसलिए बीमारी, गुरबत और भुखमरी या अवज्ञा की स्थिति में मौत आ जाने से पहले हज की अदायगी होनी चाहिए क्योंकि हज इस्लाम के अरकानों में से एक रुक्न है।

६. हज या उमरह के लिए ख़र्च किये जाने वाले माल के लिए शर्त है कि वह हलाल हो ताकि अल्लाह तआला के यहाँ मक़बूल हो सके।

७. औरत के लिए हज या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बिना महरम के यात्रा करना हराम है। जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

"कि कोई औरत उस समय तक सफ़र न करे जब तक उसके साथ उसका महरम न हो।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

८. हज को जाने से पहले जिससे लड़ाई हो उससे सुलह कर लो, क़र्ज अदा कर लो, और घर वालों को वसीयत कर दो ताकि वे बनाव श्रृंगार, गाड़ियों, मिठाईयों और खानों आदि पर फ़ुज़ूल ख़र्ची न करें। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

खाओ, पीओ लेकिन फ़ुज़ूलख़र्ची मत करो। (अल-आराफ़-३१)

९. हज मुसलमानों का एक सर्वश्रेष्ठ इज्तेमा है। इसमें परिचय, प्रेम, सहयोग, कठिनाईयों का समाधान और उस जैसे बहुत से दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करने का अवसर मिलता है।

१०. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कठिनाईयों के समाधान के लिए केवल अल्लाह तआला की तरफ़ ही रूजूअ

करें, उसी से मदद लें और अपनी हाजतें मांगें। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

(ऐ नबी) कह दो कि मैं तो केवल अल्लाह को पुकारता हूं और उसके साथ किसी को भी साझीदार नहीं ठहराता। (अल-जिन्न-२०)

११. उमरह किसी समय भी अदा किया जा सकता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अदा करना अफ़ज़ल है। जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

रमज़ान में किये जाने वाले उमरह का सवाब हज के बराबर है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

१२. मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ अदा करना दूसरी जगहों पर नमाज़ पढ़ने की तुलना में लाख गुना बेहतर है। अतएव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में नमाज़ अदा करना शेष जगहों की तुलना में हज़ार गुना बेहतर है सिवाय मस्जिदे हराम के। (बुख़ारी व मुस्लिम)

क्योंकि मस्जिदे हराम में अदा की जाने वाली नमाज़ मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) की तुलना में सौ गुना बेहतर है। (अहमद, सही)

१३. हज की तीन क़िस्में हैं जिनमें से हज तमत्तुअ सबसे बेहतर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है : ऐ आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुममें से जो कोई हज करे तो उसे चाहिए कि पहले उमरह की नीयत से एहराम बांधे फिर हज करे। (इब्ने हिब्बान और अलबानी ने इसे सहीह कहा)

अतएव आप को भी चाहिए कि हज तमत्तुअ करें। उसका तरीक़ा यह है कि आप हज के महीनों (शव्वाल, ज़ीकादह और ज़िलहिज्जा) में मीकात से एहराम बांधते हुए केवल उमरह की नीयत करें। बैतुल्लाह पहुँचकर तवाफ़ और सई करके बाल कटवायें और एहराम खोल दें। फिर आठ ज़िलहिज्जा को हज की नीयत से दोबारा एहराम पहनें।

उमरा अदा करने का तरीक़ा

उमरा के लिए निम्नलिखित आमाल ज़रूरी हैं :

१. एहराम बांधना

२. तवाफ़ (परिक्रमा) करना

३. सई करना

४. बाल कटवाना

५. हलाल होना

१. एहराम बांधना

जब आप मीक़ात पर पहुँचें तो स्नान करके एहराम पहनें और उमरा की नीयत करते हुए "لبيك اللهم بعمرة" "या अल्लाह मैं उमरा के लिए उपस्थित हुआ हूँ" कहें और फिर ऊँचे स्वर में तलबिया कहते रहिये।

२. परिक्रमा (तवाफ़) करना

मक्का पहुँचते ही बैतुल्लाह (मस्जिद हराम) में जाईये और बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाकर उसकी परिक्रमा करें। हर चक्कर हज्रे असवद से (अल्लाहु अकबर) कहते हुए शुरू करें यदि संभव हो तो हज्रे असवद को बोसा (चुम्बन) दे लें अन्यथा उसकी ओर दायें हाथ से संकेत कर देना प्रर्याप्त है। रुक्न यमानी से गुज़रते हुए यदि संभव हो सके तो हाथ लगा दें अन्यथा उसे चूमने या इशारा करने की ज़रूरत नहीं। रुक्न यमानी से हज्रे असवद की ओर आते हुए मस्नून दुआ पढ़िये। उसका अनुवाद है :

"ऐ हमारे पालनहार, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आख़िरत

में भी भलाई प्रदान कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले।

परिक्रमा पूरी करने के पश्चात मुक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रिक्अत नमाज़ पढ़िये। जिनमें पहली रिक्अत में सूरह अल-काफ़िरून और दूसरी रिक्अत में सूरह अल-इख़्लास पढ़िये।

३. सई (यत्न) करना

तवाफ़ (परिक्रमा) के बाद दो रिक्अत नमाज़ पढ़ने के पश्चात सफ़ा नामक पहाड़ी पर चढ़िये फिर क़िब्ला की ओर मुख करके अपने हाथ उठाये हुए यह दुआ पढ़िये।

> नि:संदेह सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं। मैं भी उसी से आरम्भ कर रहा हूँ जिससे अल्लाह तआला ने आरम्भ किया।

फिर बिना इशारा आदि किये तीन बार (अल्लाहु अकबर) कहकर हाथ उठाये हुए तीन बार यह दुआ पढ़िये।

> अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं उसका कोई साझी नहीं। बादशाही उसी के लिए है और उसी के लिए हम्द और तारीफ़ शोभा देता है। वह हर बात का सामर्थ्य रखता है उसके सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं। वह अकेला है। उसने अपना वादा पूरा किया और सहायता की अपने बन्दे की। और समस्त दलों को उसने पराजित किया। (अबू दाऊद)

और फिर अपनी इच्छानुसार दुआ करें जब भी सफ़ा और मरवा आये तो अन्य दुआओं सहित ये दुआयें भी दोहरायें। सफ़ा और मरवा के वीच चलते हुए दो हरे निशानों के बीच दौड़े। सई के लिए सात चक्कर लगाना होगा। सफ़ा से मरवा तक जाना एक चक्कर और मरवा से सफ़ा तक आना दूसरा चक्कर होगा।

४. बाल कटवाना

उसके बाद अपने पूरे सिर के बाल मुंडवा लें। या कटवा लें जबकि औरत के लिए सिर से थोड़े से बाल काट लेना काफ़ी है।

५. हलाल होना

उसके साथ ही आप उमरह के आमाल से निबट गये अब आप एहराम खोल सकते हैं।

हज के आमाल और उनका तरीक़ा

हज के लिए निम्नलिखित काम करने होंगे।

१. एहराम बांधना

२. मिना में रातें बिताना

३. अरफ़ात में ठहरना

४. मुज़दलिफ़ा में रात बिताना

५. कंकरियां मारना

६. कुर्बानी करना

७. बाल मुंडवना

८. परिक्रमा (तवाफ़) करना

९. सई करना

इन आमाल का सार यह है

१. आठ ज़िलहिज्जा को मक्का में अपने विश्राम गृह से ही एहराम बांधकर "لبيك اللهم بحجة" ऐ अल्लाह, मैं हज के लिए उपस्थित हूं कहकर मिना चले जायें। वहां ज़ोहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ें क़सर (यानी चार के बदले दो रिक़अतें) करके उनके नियमित समय पर अदा करें। यह रात वहीं बितायें और फ़ज्र की नमाज़ अदा करें।

२. नौ ज़िलहिज्जा को सूर्योदय के पश्चात अरफ़ात चले जायें वहां ज़ोहर और असर की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामतों से क़स्र और जमा तक़्दीम करते हुए सुन्नत पढ़े बिना अदा करें। और इस

बात का ख़्याल रखें कि आप अरफ़ात की सीमा रेखा में ही ठहरें क्योंकि अरफ़ात में ठहरना हज का वुनियादी रुक्न है। जवकि मस्जिदे नमरा का अधिकांश भाग अरफ़ात के मैदान से वाहर है। आप को चाहिए कि उस दिन विना रोज़े के हों। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलविया कह सकें और अल्लाह तआला से दुआयें कर सकें।

३. सूर्यास्त के पश्चात इत्मिनान से मुज़दलिफ़ा चले जायें जहाँ मग़रिव और ईशा की नमाज़ें क़स्र और जमा ताख़ीर से पढ़ें। वहाँ ही रात वितायें और फ़ज्र की नमाज़ अदा करने के वाद मशअरूल हराम अथवा अपने (विश्राम गृह) में वैठे अल्लाह तआला का ज़िक्र व अज़कार करते रहें। जवकि वूढ़े और कमज़ोर लोगों को आधी रात के वाद मुज़दलिफ़ा से मिना चले जाने की अनुमति है।

४. ईद के दिन (दस ज़िलहिज्जा) का सूर्य उच्च होने से पहले ही मिना की ओर चल दें और वहाँ पहुँचकर निम्नलिखित कार्य करें।

(अ) सूर्योदय के वाद से रात तक किसी समय में भी वड़े जमरा को अल्लाहु अकवर कहते हुए लगातार सात कंकरियाँ मारें।

(व) ईद के दिनों (जो कि १३ ज़िलहिज्जा की शाम तक वाक़ी रहते हैं) में किसी समय मिना या मक्का में क़ुर्वानी करें। उसका गोश्त स्वयं खायें और फ़क़ीरों को वाँटें। लेकिन अगर क़ुर्वानी के लिए पैसे न हों तो उसके वदले में दस दिन रोज़ा रखें। इनमें तीन दिन हज में और सात अपने घर वापस लौट कर रखें। यदि कोई औरत भी हज तमत्तुअ कर रही है तो उसके लिए भी क़ुर्वानी करना या उसके वदले रोज़े रखना फ़र्ज़ है।

(ज) अपने पूरे सिर का वाल मुँडवा लें या कटवा लें। लेकिन मुँडवाना श्रेष्ठ है और अपने आम कपड़े पहन लें। उसके वाद

आप के लिए एहराम के निषेध कार्यों में पत्नी से सहवास छोड़कर सब चीज हलाल हो जायेंगी।

(द) मक्का मुकर्रमा जाकर बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाते हुए ज़्यारत का तवाफ़ (इफ़ाज़ा) करें। और सफ़ा मरवा के सात चक्कर लगाते हुए सई करें। ज़्यारत का तवाफ़ आप को ईद के अन्तिम दिनों तक देर करने की अनुमति है। तवाफ़ और सई करने के पश्चात अब आप के लिए पत्नी से सहवास भी जायज़ हो जायेगा जो अब तक निषेध था।

५. मक्का से वापस आकर मिना में ग्यारह और बारह ज़िलहिज्जा की रातें गुज़ारें। इन दिनों में ज़ोहर के बाद से लेकर रात तक किसी भी समय में तीनों जमरात, छोटे, मझोले और बड़े को क्रमश: (अल्लाहु अकबर) कहते हुए सात सात कंकरियाँ मारें। इसका ख़्याल रखें कि कंकरियाँ जमरा के आसपास हौज़ के अन्दर गिरें। यदि कोई कंकरी उसमें न गिरे तो उसके बदले दूसरी कंकरी मारनी होगी। छोटे और मझोले जमरे को कंकरियाँ मारने के बाद हाथ उठाये हुए क़िब्ला की दिशा में फिरकर दुआ करना सुन्नत है। मर्दों और औरतों में से जो लोग कमज़ोर, बीमार या बूढ़े हों उन्हें कंकरियाँ मारने के लिए अपनी ओर से किसी दूसरे को सहयोगी बना देने की अनुमति है। इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर दूसरे या तीसरे दिन तक कंकरियाँ मारने में देरी लगाना जायज़ है।

९. बिदाई परिक्रमा (तवाफ़) करना वाजिब है जो यात्रा से पहले होनी चाहिए।

हज़ और उमरा वालों के लिए आवश्यक हिदायतें

१. हज ख़ालिस अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करें और यह दुआ करें।

या अल्लाह ! मेरा यह हज ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का खोट और दिखावा न हो।

२. नेक और अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, उनकी सेवा करें और अपने साथियों की तरफ़ से पहुँचने वाली तक़लीफ़ों को सहन करें।

३. सिगरेट पीने से बचें क्योंकि यह एक ऐसा घिनावना और हराम काम है जिससे वदन और माल का नुकसान, साथियों को दुख और अल्लाह तआला की अवज्ञा होती है।

४. नमाज़ के समय मिस्वाक (दातुन) का प्रयोग कीजिए। घर वालों के लिए दातुन, खजूर और ज़मज़म का तोहफ़ा ले जाइये क्योंकि इन चीज़ों की सही हदीसों में फ़ज़ीलत आई है।

५. ग़ैर महरम महिलाओं से मेल-जोल और उनकी तरफ़ नज़र उठाने से परहेज़ कीजिए। उसी तरंह अपनी औरतों को ग़ैर महरम मर्दों से पर्दा में रखें।

६. मस्जिद में आयें तो पक्तियां लांघने के वदले अपने नज़दीक किसी जगह पर वैठ जायें।

७. किसी नमाज़ी के आगे से मत गुज़रें चाहे आप हरमैन में क्यों न हों, क्योंकि यह शैतानी काम है।

८. नमाज़ इत्मिनान और सुकून से सुतरा (किसी दीवार या आदमी आदि) के पीछे पढ़िये। जबकि मुक़तदी के लिए उसके इमाम का सुतरा काफ़ी है।

९. तवाफ़ और सई करने, कंकरियां मारने और हज्र असवद को बोसा देते हुए अपने आस-पास के लोगों से नर्मी से पेश आयें।

१०. अल्लाह को छोड़ कर मुर्दों और क़ब्र वालों को मत पुकारिये क्योंकि यह एक ऐसा शिर्क है जिससे हज और दूसरे नेक आमाल बरबाद हो जाते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

यदि तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे आमाल नष्ट हो जायेंगे और तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे।

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के आदाब

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करने और उसमें नमाज़ पढ़ने की बहुत फ़ज़ीलत है। अतएव ज़ियारत के बीच नीचे लिखे आदाब को ध्यान में रखना चाहिए।

१. मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करना सुन्नत है जिसका हज के आमाल से कोई सम्बन्ध नहीं। और न ही उसके लिए कोई विशेष समय तय है।

२. जब मस्जिदे नबवी में दाख़िल हों तो दायाँ पाँव आगे बढ़ाते हुए यह दुआ पढ़िये।

(दाख़िल होता हूँ) अल्लाह के नाम से, और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे।

३. दो रिकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़िये और फिर यह दुआ पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़िये।

"ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, ऐ अबूबक्र रज़िअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो, ऐ उमर रज़िअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो।"

फिर यदि कभी दुआ करना हो तो क़िब्ला की ओर फिर कर दुआ करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फ़रमान आपके नज़र में होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

"जब माँगो तो अल्लाह से माँगो और जब मदद चाहो तो केवल अल्लाह ही से मदद हासिल करो |" (तिरमिज़ी, हसन सही)

४. दीवारों और जालियों आदि को चूमना जायज़ नहीं क्योंकि यह बिदअत है |

५. इसी तरह मस्जिद से बाहर निकलते हुए उलटे पाँव चलना निराधार और बिदअत है |

६. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतायत से दरूद पढ़ो क्योंकि आपने फ़रमाया है जो व्यक्ति मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस बार दरूद पढ़ता है | (मुस्लिम)

७. जन्नतुल बक़ीअ और उहद के शहीदों की ज़ियारत करना भी सुन्नत है जबकि मसाजिदे सबआ, बीर (कुआँ) उस्मान और मस्जिदे क़िबलतैन आदि की ज़ियारत करना बेबुनियाद और सुन्नत के ख़िलाफ़ है |

८. मदीना जाते हुए मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और फिर वहाँ पहुँचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने की नीयत से सफ़र करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> तीन मस्जिदों के अलावा किसी जगह के लिए (इबादत के इरादे से) सफ़र करना जायज़ नहीं | और वे (तीन मस्जिदें) मस्जिदे नबवी, मस्जिदे अक़्सा और मस्जिद हराम हैं | (बुख़ारी व मुस्लिम)

और यह भी कि मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ का सवाब शेष

जगहों की तुलना में हज़ार गुना ज़्यादा है सिवा मस्जिदे हराम के क्योंकि वहाँ एक लाख नमाज़ का सवाब मिलता है।

मुजतहिद इमामों का हदीस पर अमल

अल्लाह तआला चारों इमामों को अच्छा बदला दे कि उन्होंने अपने पास पहुँचने वाली हदीसों के अनुसार इज्तिहाद से काम लिया और यदि हमें उनके बीच कुछ मसलों में विभिन्नता नज़र आती है तो उसका कारण यह है कि उनमें से कुछ के पास वे हदीसें पहुँच गयीं जो दूसरे तक न पहुँच सकी थीं क्योंकि हदीस के ज्ञाता (आलिम) उस दौर में हिजाज़, सीरिया, इराक़ और मिस्र के दूर-दराज़ इलाक़ों में बिखरे हुए थे। और सभी हदीसें एक ही जगह से मिल जाना असंभव बात थी। उसके साथ-साथ यदि उस दौर की कठिनाईयाँ नज़र के सामने हों तो हदीस हासिल करने में होने वाली कठिनाईयों का अनुमान लगाया जा सकता है। यही वजह है कि जब इमाम शाफ़ई इराक़ से मिस्र जाते हैं तो कुछ हदीसें मिलने पर अपना पहला मसलक छोड़ देते हैं और उन हदीसों की रोशनी में नया मसलक बनाते हैं।

और जब हम उन आलिमों के बीच किसी मसले में मतभेद देखते हैं जैसाकि इमाम शाफ़ई के यहाँ तो औरत को केवल छू लेने से वुज़ू टूट जाता है और इमाम अबू हनीफ़ा का कथन इसके विपरीत है तो इस हालत में चाहिए कि किताब और सुन्नत से सम्पर्क करें। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है।

> अत: यदि तुम्हारा किसी बात में मतभेद हो जाये तो यदि तुम वास्तव में अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखते हो तो फिर उसका फ़ैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल

> सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो यह बेहतर और अच्छी तावील है। (अन-निसा-५९)

क्योंकि हक़ कई एक नहीं हो सकता और दो विपरीत बातें सही नहीं हो सकतीं। अतएव यह कैसे हो सकता है कि औरत को केवल छू लेने से वुज़ू टूट जाये और न भी टूटे।

और हमें तो केवल अल्लाह तआला की ओर से अवतरित होने वाले उस क़ुरआन की पैरवी का आदेश मिला है जिसकी व्याख्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों में कर दी है। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> जो कुछ अल्लाह की ओर से तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुआ है केवल उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरों के पीछे मत चलो हालांकि तुम बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। (अल-आराफ़-३)

अतएव किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि जब उसे कोई सही हदीस पहुँचे तो वह उसे केवल इसलिए रद्द कर दे कि वह उसके मज़हब के मुख़ालिफ़ है। जबकि सभी इमाम इससे सहमत हैं कि सही हदीस पर अमल किया जाये और हदीस के मुक़ाबले में हर प्रकार के विरोधी कहावतों को छोड़ दिया जाये।

इमामों के हदीस पर अमल करने के सिलसिले में कथन

इमामों के कुछ कथन पेश किये जा रहे हैं जो उनकी ओर की जाने वाली आपत्तियों को दूर करते और उनके अनुयायियों के लिए हक़ को स्पष्ट करते हैं।

इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. किसी व्यक्ति के लिए जायज नहीं कि वह हमारे किसी कथन पर अमल करे जब तक उसे मालूम न हो जाये कि हमने यह कथन कहाँ से लिया है।

२. और फ़रमाते हैं : किसी भी व्यक्ति के लिए हराम है कि वह हमारे कथन की दलील जाने बिना उसके फ़त्वे देता फिरे क्योंकि हम तो आम लोगों की तरह बशर हैं। आज यदि कोई बात कहते हैं तो कल उससे रूजूअ कर लेते हैं।

३. फिर फ़रमाते हैं : यदि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो किताब और सुन्नत का विरोधी हो तो मेरी बात छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल करना

४. इब्ने आबिदीन हनफ़ी अपनी किताब में फ़रमाते हैं कि यदि कोई हदीस हनफ़ी मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो उस अवस्था में हनफ़ी मज़हब को छोड़कर उस हदीस पर अमल किया जाये और यही इमाम का मज़हब होगा। और ऐसा करने से कोई हनफ़ी अपने मज़हब से बाहर नहीं निकल जाता क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा फ़रमाते हैं : यदि कोई हदीस सही साबित हो जाये तो मेरा मज़हब उस हदीस के मुताबिक़ होगा।

इमाम मदीना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. मैं तो एक इंसान हूँ, जिससे कभी ग़लती भी हो जाती है और कभी सही बात भी कह देता हूँ, अतएव तुम मेरी राय देखो यदि वह किताब और सुन्नत के मुताबिक़ हो तो उसे अपना लो लेकिन यदि किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसे छोड़ दो।

२. और फ़रमाते हैं : नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अलावा हर किसी की बात यदि सही हो तो क़ुबूल की जा

सकती है और यदि ग़लत हो तो रद्द की जा सकती है।

इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. हर व्यक्ति से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें छुपी रह सकती हैं जैसे उसे बहुत सी हदीसें मिल भी जाती हैं इसलिए मैं कितनी ही अच्छी बात क्यों न कह दूं या कितना ही अच्छा क़ायदा क्यों न बना दूं लेकिन यदि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन के विरोध में हो तो उस अवस्था में केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही विश्वासनीय होगी और मैं भी उसे ही अपनाऊंगा।

२. और फ़रमाते हैं : मुसलमानों का इजमाअ है कि यदि किसी व्यक्ति को रसूल की सुन्नत मालूम हो जाये तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह उसे किसी के कथन की वजह से छोड़ दे।

३. फिर फ़रमाते हैं : यदि तुम्हें मेरी किताब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन के ख़िलाफ़ कोई बात मिलती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल को अपनाओ और उस समय मेरा भी यही कहना होगा जिस पर सुन्नत की दलालत हो।

४. और फ़रमाते हैं : यदि कोई हदीस सही साबित हो जाये तो मेरा मज़हब उस हदीस के मुताबिक़ होगा।

५. और इमाम अहमद को सम्बोधित करते हुए फ़रमाते हैं कि तुम लोग हदीस और उसके रिजाल में मुझसे अधिक ज्ञान रखते हो। यदि तुम्हें कोई सही हदीस मिल जाये तो मुझे भी सूचित करो ताकि मैं भी उसे अपना लूं।

६. और आगे फरमाते हैं : हर वह मामला जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस मिल जाये और मैं उसके विपरीत कुछ कह चुका हूं तो जान लो कि मैं अपनी ज़िन्दगी या मौत हर हाल में उस से रूजूअ करता हूं।

इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं :

१. मेरी पैरवी मत करना और न ही मालिक, शाफ़ई, औज़ाई और सौरी आदि की पैरवी करना बल्कि जहां से उन्होंने मसले लिये हैं वहीं (किताब और सुन्नत) से तुम भी रहनुमाई हासिल करो।

२. फिर फ़रमाते हैं कि रसूल की हदीस को रद्द करने वाला व्यक्ति तबाही के किनारे पर है।

अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान

यह ईमान का छठाँ रुक्न है कि एक मुसलमान उसके साथ पेश आने वाली हर अच्छै या बुरे भाग्य पर ईमान रखे। इसकी व्याख्या करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पुस्तक 'अरवईने नववीय:' में फ़रमाते हैं, अल्लाह तआला ने प्राचीन काल में हर चीज़ का भाग्य लिख दिया और अल्लाह सुब्हानहु तआला को इल्म है कि यह चीज़ अपने नियमित समय में किसी नियमित जगह पर घटित होकर रहेगी। अतएव हर चीज़ अल्लाह तआला की उस तक़दीर (भाग्य) के अनुसार घटती रहती हैं।

१. भाग्य पर ईमान के मरहले

इन्सान के अस्तित्व में आने और जन्म लेने से पहले ही अल्लाह तआला के इल्म में था कि लोगों में से कौन है जो नेक या वद, आज्ञाकारी या नाफ़रमान और जन्नती या जहन्नमी होंगे। और अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा करने से पहले ही उनके अच्छे या वुरे कर्मों के बदले और सज़ा की तैयारी कर ली थी। और ये सभी चीज़ें अल्लाह तआला ने गिन-गिन कर लिख छोड़ी हैं। अतएव बन्दों के आमाल अल्लाह की उस ज्ञात और लिखे हुए भाग्य के अनुसार घटित हो रहे हैं।

यह इब्ने रजब की पुस्तक जामिउल उलूम वल हिक्म के पेज २४ से लिया गया है।

२. भाग्य लौहे महफ़ूज़ में सुरक्षित

अल्लामा इब्ने कसीर अपनी व्याख्या में अब्दुर्रहमान विन सलमान से नक़ल करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन या

उससे पहले और वाद की भाग्य में लिखी हर चीज़ को लौहे महफ़ूज में दर्ज किया हुआ है। (देखिए भाग ४ पृष्ठ ४१७)

३. तीसरे मरहले में माँ के गर्भ में भाग्य का लिखा जाना है जैसाकि हदीस में आता है कि फिर (गर्भ धारण के) ४० दिन वाद अल्लाह तआला बच्चे की ओर फ़रिश्ता भेजते हैं जो उसमें रूह डालता है और उसे चार चीजें लिखने का आदेश दिया जाता है। अतएव उसकी ज़िंदगी, रोज़ी, दुर्भाग्य और सौभाग्यवान होना लिखा जाता है। (वुख़ारी व मुस्लिम)

४. भाग्य का आख़िरी मरहला नियमित समय पर भाग्य का घटित होना है क्योंकि जव अल्लाह तआला ने कोई अच्छी या बुरी तक़दीर वनायी तो साथ ही इन्सान पर उस भाग्य के पारित होने का समय भी तय कर दिया।

यह उद्धरण इमाम नववी की किताब शरह अल अरवईन से लिया गया है।

भाग्य पर ईमान रखने के फ़ायदे

१. अल्लाह के लिखे भाग्य पर रज़ामन्दी, समाप्त हो जाने वाली चीज़ों का वदला मिलने और उस पर विश्वास रखने में आसानी। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> हर आने वाली मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही आती है। (अत्तग़ाबुन-११)

हज़रत अव्दुल्लाह विन अव्वास रज़िअल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं, अल्लाह के आदेश से अभिप्राय उसकी क़ज़ा और क़द्र है, आगे आता है।

> और जो अल्लाह पर विश्वास रखता है अल्लाह उसे सीधे रास्ते से नवाज़ते हैं। (अत्तग़ावुन-११)

अल्लामा इब्ने कसीर उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आयत ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे यदि कोई मुसीबत आती है तो उसको विश्वास होता है कि यह अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र से है । अतएव वह सवाब हासिल करने की आशा से सब्र करता है और अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सिर झुका लेता है । तो अल्लाह तआला उसे दिल में संतोष प्रदान करते हैं और खो जाने वाली चीज़ के बदले में उसे दुनिया में ही दिली सुकून और सच्चा विश्वास प्रदान करते हैं । और संभव है कि उसे खो जाने वाली चीज़ का बदला अता फ़रमा दे ।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा उसकी व्याख्या में कहते हैं :

अल्लाह तआला उसके दिल में विश्वास पैदा कर देते हैं कि जो मुसीबत उसे पहुँची है वह कभी टलने वाली न थी और जो चीज़ उससे खो गयी है वह कभी उसे मिलने वाली न थी ।

गुनाहों का माफ़ होना

जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि एक मोमिन को जब भी कोई दुख, परेशानी, थकान और बीमारी यहाँ तक कि कोई सोच बैठ जाती है तो ये सभी चीज़ें उसके गुनाहों को माफ़ी का कारण बनती हैं । (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. अच्छा बदला मिलना

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> और उन सब्र करने वालों को यह शुभसूचना दे दो जिन्हें जब कोई मुसीवत आती है तो إنا لله و إنا إليه راجعون कहते हैं ।

उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की रहमतें और उसकी दुआयें हैं और यही हिदायत पाये हुए लोग हैं।

४. दिल का धन

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना हैं कि यदि तुम अल्लाह के दिये हुए पर राज़ी हो जाओगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। (अहमद, तिरमिज़ी)

आप ने आगे फ़रमाया हैं कि कोई व्यक्ति धन, सम्पत्ति की बहुतायत से रईस नहीं बनता असल रईसी तो दिल की रईसी है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और यह भी देखा जाता हैं कि बहुत से करोड़पति लोग अपने इतने धन-सम्पत्ति पर खुश नहीं होते क्योंकि उनके दिल भूखे होते हैं जबकि उसकी तुलना में वे लोग जो थोड़ा माल होने के बावजूद अल्लाह के दिये हुए पर खुश होते हैं वह दिली तौर पर मालदार होते हैं।

५. अकारण खुशी या ग़मी से बचाव

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

कोई भी आफ़त ज़मीन में या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उसके पैदा होने से पहले ही किताब में न लिखी गयी हो। नि:सन्देह यह अल्लाह के ऊपर बहुत आसान है (और यह इसीलिए कि) ताकि तुम खोये जाने वाले पर ग़म न खाओ और मिल जाने वाले पर फूल न जाओ और अल्लाह हर इतराने वाले और गर्व करने वाले को पसन्द नहीं करता।

अल्लामा इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की वजह से लोगों पर गर्व न करो क्योंकि इन नेमतों का मिलना

तुम्हारी अपनी कोशिशों से नहीं वल्कि यह तो अल्लाह तआला का तुम्हारे लिए क़िस्मत में लिखी हुई रोज़ी है। अतएव उसे घमण्ड और दुष्टता का वसीला नहीं वना लेना चाहिए। (४\३१४)

हज़रत इक्रिमा फ़रमाते है कि हर इंसान को खुशी और ग़मी मिलती है अतएव खुशी को अल्लाह का शुक्र करने और ग़मी को सब्र करने का वसीला वनाना चाहिए।

६. दिल में साहस और हिम्मत पैदा होना

भाग्य पर ईमान रखने वाले व्यक्ति में साहस और हिम्मत पैदा होती है और वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मृत्यु अपने नियमित समय से पहले नहीं आयेगी और जो चीज़ उससे खो गई है वह उसे मिलने वाली न थी। और जो मुसीवत उस पर आई है वह टलने वाली न थी और यह कि हमेशा कठिनाईयों के साथ ही आसानियाँ होती हैं।

७. लोगों के दुख पहुँचाने से निर्भय रहना

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है : जान लो कि यदि पूरी उम्मत तुम्हें लाभ पहुँचाने के लिए इकट्ठी हो जाये तो वह अल्लाह के द्वारा भाग्य में लिखे हुए के सिवा तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती और यदि वे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए इकट्ठी हो जाये तो भी अल्लाह के ज़रिया लिखे हुए के सिवा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। क्योंकि भाग्य लिखने वाले क़लम उठ चुके और सहीफ़े सूख गये। (तिरमिज़ी, हसन सही)

८. मौत का भय समाप्त होना

हज़रत अली रज़िअल्लाहु अन्हु से मंसूव है कि उन्होंने फ़रमाया :

मैं मौत के कौन से दिन से फ़रार होने की कोशिश करूं ? क्या मौत के नियमित दिन से या जो अभी भाग्य में नहीं लिखा गया है ? अतएव जो भाग्य में नहीं है उसका तो मुझे कोई भय नहीं और जो हो चुका उससे डरना बेसूद है।

९. खो जाने वाली चीज़ पर पछतावा न करना

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ताक़तवर ईमानदार कमज़ोर ईमान वाले की तुलना में अल्लाह के यहाँ ज्यादा बेहतर और प्रिय है और दोनों में भलाई है अल्लाह से मदद माँगते हुए ऐसी चीज के लिए प्रयत्नशील रहो जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो और विवशता मत दिखाओ फिर यदि तुम्हें कोई नुकसान हो जाये तो यह न कहो कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता क्योंकि यह शैतानी काम है। बल्कि तुम्हें कहना चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो चाहा भाग्य में लिख दिया और उसे कर डाल।

१०. बेहतरी उसी में है जिसको अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए चुना है

मिसाल के तौर पर यदि किसी मुसलमान का हाथ ज़ख़्मी हो जाता है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यह हाथ टूटा तो नहीं। और यदि हड्डी टूट जाती है तो उसे शुक्र मनाना चाहिए कि हाथ कटकर अलग तो नहीं हो गया या यह कि कमर आदि टूटने जैसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

एक बार कोई व्यापारी व्यापार की यात्रा के लिए जहाज़ की प्रतीक्षा में था कि अज़ान हो गयी। अतएव वह मस्जिद में नमाज़ के लिए चला गया और जब नमाज़ पढ़ कर आया तो जहाज़ जा

चुका था। अतएव वह जहाज निकल जाने पर दुखी हुआ और मुंह बनाकर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे ख़बर मिली कि वह जहाज उड़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अतएव वह व्यक्ति अपने ज़िन्दा सलामत रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सिजदे में गिर गया और अल्लाह तआला का यह फ़रमान याद करने लगा :

> और शायद कि तुम्हें कोई चीज़ नापसन्द हो हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो और संभव है कि कोई चीज़ तुम्हारी मनपसन्द हो लेकिन वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो और अल्लाह तआला ही जानता है तुम नहीं जानते हो ?

भाग्य तर्क नहीं बन सकता

एक मुसलमान को यह विश्वास होना चाहिए कि हर बुरा-भला अल्लाह तआला का तय किया हुआ है। जो उसके इल्म और इरादे से घटित होता है। लेकिन उसके साथ-साथ अल्लाह तआला ने इंसान को अच्छा या बुरा करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। अतएव वाजिब बातों को पूरा करना और जिन चीज़ों से बचने को कहा गया है उससे बचना उसका फ़र्ज है। इस लिहाज से किसी के लिए यह जायज नहीं कि वह गुनाह करके यह कहे कि अल्लाह ने यही भाग्य में लिख दिया था। क्योंकि अल्लाह तआला का रसूल भेजने और किताबें अवतरित करने का यही उद्देश्य है कि लोगों के लिए नेकी, बदी, सआदतमन्दी या दुर्भाग्य का मार्ग स्पष्ट हो जाये।

इसके अलावा इंसान को बुद्धि एवं विवेक देकर हिदायत और गुमराही का रास्ता दिखा दिया गया है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> नि:सन्देह हमने इंसान को (हिदायत और गुमराही का)

रास्ता दिखाया फिर या तो वह शुक्र गुज़ार होता है या फिर कुफ्र करने वाला होता है। (अद्दहर-३)

अतएव वेनमाज या शराबख़ोर व्यक्ति अल्लाह के आदेश का विरोध करने के कारण सजा का अधिकारी है। और उसके लिए जरूरी है कि अपने उस गुनाह पर नदामत महसूस करते हुए अल्लाह तआला से तौवा करे। और भाग्य को हुज्जत बनाकर वह अपने उस गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। यदि कहीं भाग्य को हुज्जत बनाना संभव है तो वह मुसीबत के समय हैं जिसके बारे में उसे विश्वास होना चाहिए कि यह आने वाली मुसीबत अल्लाह की ओर से है और उस पर अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर करना चाहिए जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

"कोई भी मुसीबत ज़मीन या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उसके पैदा होने से पहले ही किताब में लिखी न गयी हो। नि:सन्देह यह अल्लाह के ऊपर आसान है।" (अल-हदीद-२२)

ईमान और इस्लाम से बाहर कर देने वाले मामले

जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वुज़ू टूट जाता है और दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत होती है उसी तरह कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनके कर गुज़रने से आदमी इस्लाम और ईमान से ख़ारिज (बाहर) हो जाता है। इन्हें ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें कहते हैं।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें चार प्रकार की हैं।

पहली क़िस्म : रब के अस्तित्व का इंकार या उसमें ज़ुबान दराज़ी करना।

दूसरी क़िस्म : इबादत योग्य 'पूज्य' का इंकार करना या उसके साथ शिर्क करना।

तीसरी क़िस्म : क़ुरआन और हदीस में अल्लाह तआला के साबित होने वालो नामों और सिफ़ातों का इंकार करना या उनमें बदज़ुबानी करना।

चौथी क़िस्म : मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूअत का इंकार करना या उसमे तान करना।

इन क़िस्मों का विस्तृत विवरण कुछ इस तरह है।

रब के अस्तित्व का इंकार

१. पहली क़िस्म ऐसे लोगों की है जो रब का इंकार करते हैं जैसाकि दहरिया, नास्तिक, कम्यूनिस्टों ने पैदा करने वाले के अस्तित्व को नकार दिया है और कहते हैं कि कोई माबूद नहीं और

जीवन भौतिकवाद का नाम है । सृष्टि का जन्म और उसकी गतिविधियों को प्राकृति और इत्तिफ़ाक़ की बातें मानते हैं और प्राकृति और इत्तिफ़ाक़ के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं। जबकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

अल्लाह (तआला) ही हर चीज़ का पैदा करने वाला और वही हर चीज़ का बनाने वाला है। (अज़-ज़ुमर-६२)

ऐसे लोग अरब के मुशरिकों और शैतानों से भी बड़े काफ़िर हैं क्योंकि वे मुशरिक कम से कम ख़ालिक़ के अस्तित्व को तो मानते थे जैसाकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में फ़रमाया है :

यदि तुम उन (मुशरिकों) से पूछो कि तुम्हें किसने पैदा किया है तो जवाब देंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है।) अज़-ज़ुख़रफ़-८७)

उसी तरह क़ुरआन मजीद शैतान के बारे में फ़रमाता है कि उसने अल्लाह तआला से कहा :

मैं उस (आदम) से बेहतर हूं क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि उसे (आदम को) मिट्टी से पैदा किया है। (स्वाद-७६)

इससे मालूम हुआ कि मुशरिक और शैतान अल्लाह तआला के ख़ालिक़ होने का इक़रार करते थे और यदि कोई मुसलमान भी कम्यूनिस्टों की तरह कहे कि उस चीज़ को फ़ितरत ने पैदा किया है या वह ऐसे ही अस्तित्व में आ गयी है तो वह भी कुफ़्र का काम करता है।

२. यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह रब है जैसाकि

फ़िरऔन ने कहा था :

मैं तुम्हारा रब हूं। (अन्नाज़िआत-८४)

तो वह ऐसा दावा करने से काफ़िर हो जाता है।

३. रब के अस्तित्व को मानने के साथ यह भी आस्था रखना कि दुनिया में कुछ वली और कुतुब हैं जो सृष्टि की व्यवस्था करते और उसका निज़ाम चलाते हैं। ऐसा कहने वाले अपने अक़ीदे में इस्लाम से पहले के मुशरिकों से भी बदतर हैं क्योंकि वे मुशरिक यह आस्था रखते थे कि सृष्टि की व्यवस्था करने वाला और उसका निज़ाम चलाने वाला केवल अल्लाह तआला है जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

उन (काफ़िरों) से पूछिये कि तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देने वाला क़ौन है ? कौन हो जो तुम्हारी सुनने और देखने की ताक़त का मालिक है ? और कौन है जो मुर्दों को ज़िन्दा और ज़िन्दों को मुर्दा से निकालता है और कौन है जो सृष्टि की व्यवस्था को चलाता है ? तो वे कहेंगे कि वह अल्लाह तआला की ज़ात है तो उनसे कहो कि फिर तुम (अपने उस अल्लाह से) डरते क्यों नहीं हो। (यूनुस-३१)

४. कुछ पथभ्रष्ट सूफ़ी यह कुफ़्र वाली आस्था रखते है कि अल्लाह तआला सृष्टि के भीतर समा गये हैं। जैसेकि दमिश्क़ में दफ़न किये गये इब्ने अरबी सूफ़ी का कहना है कि (रब बन्दा और बन्दा रब है काश मैं जान लेता कि मुकल्लफ़ कौन है) और उनके एक दूसरे शैतान का कहना है कि सूअर और कुत्ते हमारे रब है तथा गिरजा के अन्दर जो राहिब है वही अल्लाह है।

और उन भटके हुए सूफ़ियों के इमाम हल्लाज ने जब यह कहा कि

मैं वह (अल्लाह) और वह (अल्लाह) में हू तो आलिमों ने उसकी हत्या का फ़त्वा दे दिया। अतएव उसकी हत्या कर दी गयी।

और अल्लाह के समा जाने की यह आस्था यदि प्राचीन काल में पायी जाती थी तो वर्तमान में भी इस आस्था को अपनाने वाले शैतानों की कमी नहीं।

इबादत में शिर्क करना

ईमान के ख़िलाफ़ मामलों में से दूसरी चीज़ यह है कि इबादत के योग्य "उपास्य" का इंकार किया जाये या उसकी इबादत में दूसरों को भी साझीदार बनाया जाये। उसकी कई क़िस्में हैं :

१. वे लोग जो सूरज, चाँद, सितारों, पेड़ों और शैतानों जैसी मख़लूकों की पूजा करते हैं हालांकि ये चीजें अपने लिए भी किसी लाभ व हानि की मालिक नहीं। दूसरों को लाभ पहुँचाना तो दूर की बात है।

और अल्लाह तआला की इबादत नहीं करते जो कि उन चीज़ों का ख़ालिक़ और मालिक है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> और उस (अल्लाह) की निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं। यदि तुम केवल उसी (अल्लाह) की इबादत करने वाले हो तो फिर सूरज चाँद के लिए सजदा न करो बल्कि उसी अल्लाह को सजदा करो जिसने उनको पैदा किया है। (हा॰ मीम॰ अस्सजदा-३७)

२. इबादत में शिर्क के बारे में दूसरी क़िस्म ऐसे लोगों की है जो अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उसके साथ वलियों की मूर्तियों या क़ब्रों में दफ़नाये गये मख़लूकों को उसकी इबादत में शरीक कर लेते है, उनकी स्थिति बिल्कुल इस्लाम से पहले के अरब के मुशरिकों जैसी है जो अल्लाह की इबादत करते और कठिन घड़ी में केवल उसी को पुकारते। लेकिन जब मुश्किल हल हो जाती और आसानी का समय होता तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते जैसाकि क़ुरआन करीम इस तरह उनकी हालत बयान फ़रमा रहा है :

जब वे (मुशरिक) नाव में सवार होते तो अल्लाह के लिए दीन ख़ालिस करते हुए केवल उससे दुआ करते और जब (अल्लाह तआला) उन्हें बचाकर ख़ुश्की में ले जाता तो फिर उसके साथ शिर्क करने लगते। (अल-अनकबूत-६५)

इस आयत में अल्लाह तआला ने उन्हें मुशरिक क़रार दिया हालांकि वे जब नाव डूबने का ख़तरा महसूस करते तो केवल अल्लाह ही को पुकारते और यह इसीलिए कि यह मुशरिक लोग केवल अल्लाह से दुआ करने पर बरक़रार नहीं रहते थे। बल्कि जब समुद्र से निकल आते तो अल्लाह के सिवा दूसरों से दुआयें मांगते थे।

३. अब सोचने की बात यह है कि यदि अल्लाह तआला ने इस्लाम से पहले के अरब मुशरिकों को काफ़िर क़रार दिया है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे युद्ध करने का आदेश दिया है इसके बावजूद कि वे कठिन घड़ियों में अपने बुतों को भूलकर केवल अल्लाह की इबादत करते थे। तो फिर ऐसे मुसलमानों का क्या हाल होगा जो केवल आम परिस्थिति ही में नहीं बल्कि कठिन घड़ियों में भी अल्लाह को छोड़कर मृत वलियों की क़ब्रों पर जाकर स्वास्थ, लाभ, रोज़ी और हिदायत जैसी वे चीज़ें मांगते हैं जो केवल अल्लाह तआला के कुदरत में हैं। और उन वलियों के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं जो अकेला है, स्वस्थ, लाभ, हिदायत और रोज़ी जैसी चीज़ों का मलिक है और उसके मुक़ाबले में ये वली किसी नफ़ा या नुकसान के मालिक नहीं हैं। बल्कि वह तो पुकारने वालों की पुकार सुनने का भी सामर्थ्य नहीं रखते। जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

और ये लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह तो

खजूर की गुठली के बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं। यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते और अगर (मान लो) सुन भी लें तो उसे क़ुबूल नहीं कर सकते और क़ियामत के दिन वह तुम्हारे उस शिर्क का इंकार कर देंगे और तुम्हें हर चीज़ की ख़बर देने वाली ज़ात (अल्लाह तआला) की तरह कोई नहीं बतायेगा। (फ़ातिर-१४)

इस आयत में अल्लाह तआला ने खुले तौर पर बयान कर दिया है कि मृत अपने पुकारने वालों की दुआयें नहीं सुनते और यह कि मृतकों से दुआ करना बड़ा शिर्क है।

संभव है कि कोई कहने वाला यह कहे कि हम यह अक़ीदा नहीं रखते कि यह वली या बुज़ुर्ग किसी लाभ या हानि के मालिक हैं बल्कि हम तो केवल अल्लाह की निकटता हासिल करने के लिए उन बुर्ज़गों का वास्ता देते हैं या दूसरे शब्दों में हम अपनी दुआयें उन बुज़ुर्गों तक और ये बुज़ुर्ग हमारी दुआयें अल्लाह तक पहुँचा देते हैं।

तो इसका जवाब यह है कि ऐसी बातें करने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की आस्था मक्का के मुशरिकों की थी जिनके बारे में क़ुरआन करीम में आया है :

और ये मुशरिक अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो उनके किसी लाभ या हानि के मालिक नहीं। और कहते हैं कि यह माबूद अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी होंगे। तो (ऐ नबी अकरम) उनसे कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह तआला को आसमान व ज़मीन की कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो उसे मालूम न हो ? (यानी अल्लाह तआला उनके उस गुमराह करने वाली आस्थाओं से

अच्छी तरह अवगत है) वह ज़ात (अल्लाह तआला) उनके उस शिर्क से पाक और ऊँचा है। (यूनुस-१८)

अत: यह आयत भी उस बात की दलील हुई कि ग़ैर अल्लाह की इबादत करने वाला और उसे पुकारने वाला मुशरिक है। यद्यपि उसका यह अक़ीदा हो कि यह (बुज़ुर्ग) किसी लाभ या हानि के मालिक नहीं केवल मेरे सिफ़ारिशी हैं।

इसी तरह अल्लाह तआला मुशरिकों के बारे में दूसरी जगह फ़रमाते हैं :

और वे लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना औलिया बना लिया है. (वह यह कहते हैं) कि हम उन (माबूदों) की इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि यह हमें अल्लाह से क़रीब कर देते हैं। नि:सन्देह अल्लाह तआला उनकी ऐसी 'बहकी-बहकी' बातों में फैसला फ़रमायेंगे और अल्लाह तआला किसी झूठे और कुफ़्र करने वालो को हिदायत नहीं देते। (अज़-ज़ुमर-३)

यह आयत भी खुली दलील है कि क़ुर्बत पाने की नीयत से ग़ैर अल्लाह को पुकारने वाला काफ़िर है। क्योंकि पुकारना और दुआ करना इबादत में से है जैसाकि तिरमिज़ी की सही\ हसन हदीस में है।

इसी तरह की एक दूसरी आयत में अल्लाह ने ऐसे मुशरिकों की वास्तविकता बयान करते हुए फ़रमाया है :

और उस व्यक्ति से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों को पुकारता है जो क़ियामत तक उसके पुकारों को सुनने के क़ाबिल नहीं। बल्कि वह तो

वैसे ही उसकी पुकारों से बेख़बर हैं। और जब (क़ियामत के दिन) लोगों को इकट्ठा किया जायेगा तो उस (मुशरिक) के यही माबूद दुश्मन बन जायेंगे और जो उनकी इबादत किया करता था उसका इंकार कर देंगे। (अल-अहक़ाफ़-५,६)

४. अल्लाह तआला के अवतरित आदेश और सीमाओं को लागू न करना भी नवाक़िज़े ईमान में से है। ख़ास तौर पर यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि ये सीमायें इस ज़माने में लागू नहीं किये जा सकते।

या इस्लामी शरीयत का विरोध करने वाले क़ानूनों को लागू करना जायज़ समझता हो क्योंकि शरीयत को लागू करना भी एक श्रेष्ठ इबादत है और अल्लाह तआला के सिवा किसी को क़ानून बनाने का अधिकार देना ऐसा ही शिर्क है जैसे बुतों की पूजा करना शिर्क है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

अल्लाह (तआला) के सिवा किसी के लिए हाकमियत नहीं है। उसने आदेश दिया है कि तुम उस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। यही सच्चा दीन है लेकिन अधिकांश लोग जानते नहीं। (यूसुफ़-४०)

आगे आया है :

और जो लोग अल्लाह के अवतरित शरीयत से फ़ैसला नहीं करते वही काफ़िर लोग है। (अल-मायद:-४४)

लेकिन वह व्यक्ति जो अल्लाह की शरीयत को अमल के क़ाबिल तो समझता है लेकिन नफ़्स की इच्छाओं या किसी मजबूरी को देखते हुए वह शरीयत का फ़ैसला नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति काफ़िर नहीं बल्कि ज़ालिम या फ़ासिक़ होगा। जैसाकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा का फ़रमान है :

जो व्यक्ति अल्लाह तआला की हाकमियत को स्वीकार न करे वह काफ़िर है और जो स्वीकार तो करे लेकिन उसके द्वारा फ़ैसला न करे तो वह ज़ालिम और फ़ासिक़ होगा।

यही अल्लामा इब्ने जरीर का कथन भी है और हज़रत अता फ़रमाते हैं कि ऐसा करना भी छोटा कुफ़्र है।

लेकिन जो व्यक्ति अल्लाह की शरीयत को समाप्त करके कोई मानवीय क़ानून लागू करे और समझे कि यही क़ानून अमल के क़ाबिल है तो उसका यह अमल उसको इस्लाम से ख़ारिज कर देगा इस पर सभी सहमत हैं।

५. ईमान को नकारने वाले मामलों में यह भी आता है कि कोई व्यक्ति अल्लाह के आदेशों पर रज़ामन्द न हो या उन्हें क़ुबूल करने में तंगी और घुटन महसूस करे जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तेरे रब की क़सम, ये लोग उस समय तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक वे अपने विवादों में तुमसे फ़ैसला नहीं लेते और फिर आपके फ़ैसले को क़ुबूल करने में किसी प्रकार की तंगी या आपत्ति महसूस न करें बल्कि उसके सामने अपना सिर झुका दें। (अन्-निसा-६५)

और यदि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला स्वीकार करना और उसे क़ुबूल करना ज़रूरी था तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सुन्नत को अमल में लाना और उससे फ़ैसला लेना ज़रूरी होगा।

और अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने में कराहत का प्रदर्शन ऐसा काम है जिससे इंसान के सभी कर्म बरबाद हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाते है :

> और यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के अवतरित आदेशों को नापसन्द किया तो अल्लाह तआला ने उनके आमाल बरबाद कर दिये। (मुहम्मद-९)

अल्लाह के नामों और सिफ़ातों (विशेषताओं) का इंकार या उसमें शिर्क

१. ईमान विरोधी मामलों में यह भी है कि कोई व्यक्ति अल्लाह तआला की किताब और सुन्नत में साबित नामों एवं विशेषताओं का इंकार करे जैसे कोई व्यक्ति अल्लाह के पूर्ण ज्ञान, उसका सामर्थ्य, ज़िन्दगी, देखने और सुनने की शक्ति, उसकी वाणी, रहमत या उसके अर्श पर उच्च और स्थापित होना, आसमाने दुनिया पर नाज़िल होना, या उसके हाथ, पांव, आंखें, टांगें और उस जैसी अल्लाह तआला के लायक़ और मख़्लूक़ात से न मिलने-जुलने वाली विशेषताओं का इंकार करे। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> उस (अल्लाह) जैसी कोई भी वस्तु नहीं, और वह सुनने वाला और देखने वाला है। (अश्शूरा-११)

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने आपको मख़्लूक़ से अलग होने और अपने लिए सुनने और देखने की शक्ति को ज़ाहिर करके यह बता दिया है कि उसके शेष गुण भी ऐसे ही हैं।

२. इसी तरह कुछ सिद्ध विशेषताओं की तावील या उन्हें उनके ज़ाहिरी अर्थ से बदलाव करना भी बहुत बड़ी ग़लती और गुमराही

है । जैसेकि अर्श पर उच्च होने को सामर्थ्य होना से तावील करना जबकि इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुख़ारी में इमाम मुजाहिद और अबुल आलिया से इस्तवा की व्याख्या इरतिफ़ाअ और बुलन्दी के अर्थ में नक़ल किया है और दोनों की गिनती अस्लाफ़ में है क्योंकि दोनों ताबई हैं। सिफ़ात की तावील करना उनको नकारने के समान है अतएव 'इस्तवा' की तावील 'इस्तीला' से करने से अल्लाह की साबित विशेषताओं में से एक का इंकार हो जाता है । जबकि अल्लाह तआला अर्श पर बुलन्द है यह सिफ़त (गुण) क़ुरआन और हदीस से साबित है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

> रहमान (अल्लाह तआला) अर्श पर ऊँचा और बुलन्द हुआ। (ताहा-५)

आगे फ़रमाते हैं :

> क्या तुम उस ज़ात से मामून हो गये जो आसमान पर है कि वह तुम्हें ज़मीन में धँसा दे। (अल-मुल्क-१६)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

अल्लाह तआला ने सृष्टि रचने से पहले एक किताब लिखी जिसमें यह है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले गयी और वह किताब अल्लाह के यहाँ अर्श पर लिखी है। (बुख़ारी)

शैख़ मुहम्मद अमीन शनक़ीती (साहबे अज़वाउल बयान) फ़रमाते हैं कि अल्लाह की विशेषताओं की तावील वास्तव में उसे बदल डालना है।

अतएव वह अपनी किताब "मन्हज व देरासात फिल अस्माए वस्सिफ़ात" में लिखते हैं कि हम अपने इस लेख को दो बातों पर

समाप्त कर रहे हैं।

"अल्लाह तआला का यह फ़रमान तावील करने वालों के सामने होना चाहिए जिसमें अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को जब 'हित्ता' कहने का आदेश दिया तो उन्होंने उसे 'हिन्ता' से बदल दिया और 'नून' की बढ़ौत्तरी कर दी।"

अतएव अल्लाह तआला ने सूरह बक़र: में उनके उस कर्म को बयान करते हुए फ़रमाया :

> ज़ालिमों ने जब बात (हित्ता) को उसके अलावा 'हिन्ता' से बदल दिया तो हमने फिर ज़ालिमों पर उनकी नाफ़रमानी की वजह से आसमान से अज़ाब नाज़िल किया। (अल-बक़र:-५९)

इस तरह जब तावील करने वालों से 'इस्तवा' कहा गया तो उन्होंने इसमें 'लाम' की बढ़ौत्तरी करके उसे 'इस्तीला' बना दिया। अतएव उनकी इस 'लाम' की बढ़ौत्तरी बिल्कुल यहूदियों की 'नून' की बढ़ौत्तरी के समान है। (इसका उल्लेख इब्ने अल-कैय्यम ने किया है)

३. अल्लाह तआला की कई ऐसी विशेषतायें हैं जो उसके लिए विशेष हैं और कोई दूसरी ज़ात उन विशेषताओं में अल्लाह तआला की शरीक़ नहीं हो सकती जैसाकि ग़ैब (परोक्ष) का इल्म (ज्ञान) है। इसके बारे में अल्लाह तआला क़ुरआन मजीद में फ़रमाते हैं :

> और उसी (अल्लाह) के पास ग़ैब का ज्ञान है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। (अल-अनआम-५९)

लेकिन कभी-कभी अल्लाह तआला अपने रसूलों को वह्य के ज़रिये कुछ ग़ैबी चीज़ें बता देता है जैसाकि क़ुरआन में आया है :

> (अल्लाह तआला ही) ग़ैब का इल्म जानने वाला है और वह

> किसी को भी अपने इस इल्म ग़ैब पर सूचित नहीं करता, सिवाय अपने रसूलों में से जिसे चाहे। (अल-जिन्न-२६,२७)

फिर अल्लाह तआला अपने किसी रसूल को वह्य के ज़रिया ग़ैब की चीजें बता देता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि उस रसूल के पास ग़ैब का इल्म है। क्योंकि यह तो केवल अल्लाह के दिये हुए इल्म में से है और किसी मख़लूक़ के लिए संभव नहीं कि वह अपने आप ग़ैब का ज्ञान हासिल कर सके।

हज़रत आएशा रज़िअल्लाहु अन्हा फ़रमाती थीं।

> जो व्यक्ति यह कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब का इल्म था वह झूठा और कज़्ज़ाब है। (बुख़ारी)

इससे मालूम हुआ कि अल-बू सैरी के वह काव्य-छन्द जो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ग़ैब के विषय में लिखे है वह उसके कुफ़्र और गन्दी मानसिकता को उजागर करते है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> (ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कह दो कि आसमानों और ज़मीनों में ग़ैब जानने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। (अन-नमल-६५)

और यदि नबियों को ग़ैब का इल्म नहीं तो फिर वलियों को ग़ैब का ज्ञान कैसे हो सकता है। बल्कि उन्हें तो उन ग़ैबी चीजों का भी ज्ञान नहीं होता जो अल्लाह तआला वह्य के ज़रिया अपने रसूलों को बताते है और वह इसलिए कि उन वलियों पर वह्य नाज़िल नहीं होती। और वह्य का अवतरित होना नबियों के साथ ख़ास है।

अतएव जो व्यक्ति भी ग़ैब के ज्ञान का दावा करे या दावा करने वाले की तसदीक़ करे तो उसने अपना ईमान बरबाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है :

> जो व्यक्ति किसी ज्योतिष या नजूमी के पास (गुप्त बातें पूछने के लिए) आये और फिर उसकी बातों की तसदीक़ कर दे तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले (क़ुरआन) को झुठला दिया। (सही-अहमद)

इस प्रकार के दज्जालों, काहिनों और नजूमियों आदि की बतायी जाने वाली ख़बरें वास्तव में उनके अनुमान, इत्तेफ़ाक़ात और शैतानी वसवसा का परिणाम होती हैं और यदि वे सच्चे होते तो फिर उन्हें चाहिए था कि इस्लाम के शत्रुओं की साज़िशों से बाख़बर करते और लोगों पर बोझ बनकर गुमराह करने वाले तरीक़ों से माल इकट्ठा करने के बजाय अपने लिए ज़मीन के ख़ज़ाने निकाल लेते।

> अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जो व्यक्ति किसी नजूमी के पास कोई बात पूछने के लिए आये तो उसकी नमाज़ चालीस दिन तक क़ुबूल नहीं होती। (मुस्लिम)

कुछ लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ग़ैबी मामलों के बारे में हदीस जैसाकि आख़िरत का हाल-चाल और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें यह भ्रम होता है कि आपको ग़ैब का ज्ञान था।

अतएव इस बारे में यह मालूम होना चाहिए कि वह ग़ैबी चीज़ें थीं जिनका ज्ञान अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह्य या किसी दूसरे ज़रिये से दिया था। इसलिए यह

कहना सही नहीं कि आप को ग़ैब का इल्मा था। ग़ैब का इल्म तो तब होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बातें अपने आप मालूम हो जातीं।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ की चौथी क़िस्म

चौथी क़िस्म यह है कि रसूलों के बारे में ज़ुबान दराज़ी की जाये। अतएव किसी रसूल की रिसालत का इंकार करना या उसकी ज़ात में तानाज़नी करना भी ईमान को नकारने वाली चीज़ है।

१. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इंकार करना ईमान को नकारना है। क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का रसूल होने की ग वाही देना ईमान के अरकानों में से है।

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने, अमानत और इफ़्फ़त में तान करना उनका मज़ाक़ उड़ाना, उन्हें हक़ीर ख़्याल करना या उनके मुबारक कामों में ताना मारना।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों में तान करना या उन्हें झुठलाना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों का इंकार करना जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के आने और ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा शरीयत लागू करने के लिए भविष्यवाणी की थी।

४. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले रसूलों का इंकार करना या क़ुरआन और हदीस में उल्लिखित उन रसूलों और उनकी क़ौमों के बीच पेश आने वाली घटनाओं का इंकार करना।

५. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूअत का दावा

करने वाला व्यक्ति भी काफिर है जैसाकि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया । अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में ऐसे दज्जालों को झुठलाते हुए कहा।

> मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मर्दों में किसी के बाप नहीं बल्कि वह अल्लाह के रसूल और नबियों में आख़िरी नबी हैं। (अल-अहज़ाब-४०)

इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

> मैं आख़िर में आने वाला हूं जिसके बाद कोई नबी नहीं आयेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और जो व्यक्ति भी इस बात का समर्थन करता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ादियानी या दूसरा कोई नबी है तो उसने कुफ्र का काम किया और उसका ईमान बरबाद हो गया।

६. ईमान को नकारने वाले कामों में से एक यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी विशेषता प्रदान थी जो अल्लाह के लिए ख़ास हो जैसाकि कुछ भटके हुए सूफ़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक़ ग़ैब के ज्ञान से ख़ास किया है।

७. उसी तरह वे लोग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुसरत, सहायता और शफ़ा (स्वास्थ लाभ) जैसी वे चीजें मांगते हैं जो केवल अल्लाह के सामर्थ्य शक्ति के अन्दर है जैसाकि आज के बहुत से मुसलमानों की यही हालत है।

हालांकि अल्लाह तआला का फ़रमान है :

और नुसरत तो केवल अल्लाह (तआला) ही देने वाला है। (अल-अंफ़ाल-१०)

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

जब मांगो तो केवल अल्लाह से मांगो और जब मदद लो तो केवल अल्लाह से मदद लो। (तिरमिज़ी-हसन)

और अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्बोधित करते हुए फ़रमाया :

"ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी हानि व हिदायत का मालिक नहीं हूँ और कह दो कि मुझे कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं और उस (अल्लाह) के सिवा मेरा कोई मलजा और मावा नहीं।" (अल-जिन्न:-२१,२२)

अर्थात तुमको नफ़ा और नुकसान पहुँचाना तो अलग अपना नफ़ा और नुकसान भी मेरे क़ब्ज़े में नहीं। यदि मान लें मैं अल्लाह की अवज्ञा करूँ तो कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भागकर पनाह ले सकूँ।

और यदि यह परिस्थिति नबियों के इमाम और दोनों जहान के सरदार, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो उनसे हज़ारों गुना कम औलिया और बुज़ुर्गों की क्या हालत होगी। जिन पर ग़ैब के ज्ञान जानने का आरोप लगाया जाता है। उनके नाम की नियाज़ें मांगी जाती हैं और उनसे रोज़ी, सेहत और सहायता व नुसरत मांगी जाती है। उनके लिए क़ुर्बानी की जाती है।

८. हम रसूलों के चमत्कार और वलियों के करामातों को नकारते नहीं लेकिन उन नबियों और वलियों को अल्लाह का शरीक बना लेने को जायज़ नहीं समझते और जिस तरह अल्लाह को पुकारा

जाता है ऐसे ही उन नवियों एवं वलियों को पुकारने और जैसे अल्लाह के लिए नज़रें और नियाज़ें दी जाती हैं ऐसे ही उन नवियों व वलियों के लिए भी नज़रें देने और क़ुर्वानी देने को हराम क़रार देते हैं।

(मुसलमानों की दीन से अज्ञानता और किताव व सुन्नत से दूर होने के कारण मुशरिकों वाले रस्मों रिवाज इस हद तक फैल चुके हैं कि शायद ही कोई वस्ती या मुहल्ला आप को किसी ऐसे मजार से ख़ाली नजर आये जिसकी अल्लाह के सिवा इवादत न की जा रही हो और अल्लाह की राह में सदक़ा व ख़ैरात करने के वदले इस क़व्र वाले के नाम पर चढ़ावे न चढ़ाये जा रहे हों।)

यहां तक कि इस क़िस्म के कथित वलियों के क़व्रों पर दौलत के ढेर लग जाते हैं और इन क़व्रों पर वैठने वाले मुजाविर और गद्दी नशीन इस दौलत को वांट लेते हैं। इसके मुक़ावले में कितने ही ग़रीव लोग भूखों मर जाते हैं जिन्हें रोटी का नवाला तक नसीब नहीं होता। अरवी भाषा के किसी कवि ने क्या खूव कहा है।

वेचारे जिन्दा लोगों को एक पायी भी नसीव नहीं होती

जवकि मुर्दों पर लाखों रूपये निछावर कर दिये जाते हैं।

गुमराही और मुर्खता की चरम सीमा केवल यही नहीं है वल्कि आपको वहुत से मजार और दरगाहें ऐसी मिलेंगी जिनकी कोई हक़ीकत नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ भटके हुए पीरों और मुजाविरों की पैदावार है। ताकि वह उन मजारों का झांसा देकर लोगों से नजर-नियाज़ और माल इकट्ठा कर सकें। और इस बात की सच्चाई के लिए हजारों घटनायें मौजूद हैं लेकिन यहां केवल दो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे आप उन अपने आप

बनने वाले वलियों और उनके मज़ारों की सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं।

१. मेरे एक साथी उस्ताद का कहना है कि सूफियों का एक पीर अपनी माँ के पास आया और उससे एक ख़ास सड़क पर हरा झण्डा लगाने के लिए चन्दा माँगा ताकि लोगों को मालूम हो कि यहाँ किसी अल्लाह के वली को दफ़न किया गया है। अतएव उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिये जिससे उसने हरा कपड़ा ख़रीदा और झण्डा लगा दिया और लोगों से कहने लगा कि यहाँ अल्लाह का वली दफ़न है, जिसकी ज़ियारत का सौभाग्य मुझे स्वप्न में प्राप्त हुआ। इस तरह से उसने लोगों को चक्कर देकर माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जब हुकूमत ने सड़क चौड़ा करने लिए वह स्वयं रचित क़ब्र वहाँ से हटानी चाही तो उस पीर ने यह अफ़वाह फैला दी कि जिस मशीन से क़ब्र गिराने की कोशिश की गयी वह मशीन टूट गयी। कुछ लोगों ने इस अफ़वाह को सच माना और यह अफ़वाह आम हो गयी जिससे हुकूमत क़ब्र न खोदने पर मजबूर हो गयी। फिर उस मुल्क के मुफ़्ती साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत ने मुझे आधी रात के समय क़ब्र के पास बुलाया (ताकि उस क़ब्र की सच्चाई मालूम हो जाये) फ़रमाते हैं जब मशीनों और क्रेन से उसकी खुदाई की गयी तो मुफ़्ती साहब ने क़ब्र के अन्दर देखा तो वह बिल्कुल ख़ाली थी जिससे यह समझ में आया कि यह सब झूठ और फ्राड था।

२. दूसरा क़िस्सा हरम (बैतुल्लाह) के एक अध्यापक ने सुनाया कि दो फ़क़ीर आपस में मिले और एक-दूसरे से अपनी दयनीय स्थिति की शिकायत की। तभी उनकी नज़र एक स्वंय रचित वली की क़ब्र पर पड़ी जिस पर माल और दौलत निछावर किया जा रहा

था । यह देख कर उनमें से एक फ़क़ीर ने कहा, क्यों न हम भी कोई क़ब्र खोदकर किसी वली को दफ़्न कर दें, ताकि हमको भी माल व दौलत मिलने लगे । दूसरे फ़क़ीर ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की और दोनों चल पड़े । रास्ते में उन्हें एक चीख़ता हुआ गदहा दिखाई दिया तो उन्होंने उसे जिव्ह करके एक गढ़े में दबा दिया और उस पर मज़ार बना दिया । फिर उससे तबर्रूक हासिल करने के लिए दोनों उस पर लोटने लगे । जब कुछ आने-जाने वालों ने उनसे पुछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ हबीश बिन तबीश (बाबा गदहे शाह) नाम के एक वली दफ़्न हैं, जिनकी करामतें बयान से बाहर हैं । लोग भी उन फ़क़ीरों की इन बातों से धोखा खा गये और उन्होंने उस पर नज़रें, नियाज़ और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिये । जब काफ़ी माल इकट्ठा हो गया तो उन फ़क़ीरों का उसके बँटवारे को लेकर मतभेद हो गया । अतएव जब आपस में झगड़ा करने लगे तो राहगीर इकट्ठे हो गये । दोनों फ़क़ीरों में से एक ने कहा : मैं उस क़ब्र वाले वली की क़सम खाता हूँ कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया । दूसरे ने कहा : तुम उसके वली होने की कैसे क़सम खाते हो जबकि हम दोनों को मालूम है कि हमने तो यहाँ पर गदहा दफ्न किया है । लोग उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गये और उन्हें गालियाँ देते हुए अपने नजरो नियाज़ का माल वापस ले गये ।

(मालूम होता है कि उन फ़क़ीरों को चक्करबाज़ी की कला में महारत हासिल न थी । यदि कुछ दिन किसी पीर या मुल्ला साहब से प्रशिक्षण ले लेते तो निश्चय ही उन्हें झगड़ने की कोई आवश्यकता पेश न आती ।)

पाठको ! तनिक विचार कीजिए कि ये हैं घोड़ो, गदहों और कुत्तों

पर निर्मित मज़ार शरीफ़ जिन्हें वलियों का नाम देकर जन-मानस को गुमराह किया जा रहा है। इंसान जिसको अल्लाह तआला ने सर्वश्रेष्ठ मख़लूक होने का गौरव प्रदान किया हैं वह कुत्तों, गदहों और मिट्टी के ढेरों को अपना खुदा बना बैठा है। लेकिन सच्चाई यह है कि शिर्क ऐसी चीज़ है जो बड़े से वड़े वुद्धिमान लोगों की वुद्धि पर भी पर्दा डाल देती है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

> और नि:सन्देह हमने बहुत से जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार किया है जिनके दिल तो हैं लेकिन समझने के योग्य नहीं। उनकी आंखें हैं जिनसे देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं। ऐसे लोग जानवरों की भांति बल्कि उनसे भी वदतरीन भटके हुए हैं। यही ग़ाफ़िल लोग हैं। (अल-आराफ़-१७९)

जब उन लोगों ने अपने दिल और दिमाग़ और कान और आंख को अल्लाह के दीन को समझने और अल्लाह की मख़लूक़ में विचार-विमर्श करने में नहीं लगाया तो जानवरों से भी कम दर्जा में जा पहुंचे। मख़लूकों पर विचार-विमर्श भी इंसान को सच्चे रास्ते पर लाने का वहुत बड़ा ज़रिया है। क्योंकि सृष्टि का कण-कण अल्लाह की वहदानियत का मज़हर है।]

क़ुफ़्र वाले कुछ बातिल अक़ीदे

१. यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह तआला ने दुनिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की है जिसकी बुनियाद एक मनगढ़न्त हदीस को बनाया जाता है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

ऐ मुहम्मद यदि तुम न होते तो मैं दुनिया को पैदा ही न करता।

अल्लामा इब्ने जौज़ी फ़रमाते है कि यह हदीस झूठी और मनगढ़न्त है क्योंकि इस क़िस्म का अक़ीदा अल्लाह तआला के उस फ़रमान का विरोधी है।

यानी मैंने जिनों और इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। (अज्जारियात-५६)

बल्कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उद्देश्य भी अल्लाह तआला की इबादत ही था जैसाकि अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाते हैं :

अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ पहुँचे। (अल-हिज्र-९९)

इसी तरह सभी रसूलों की पैदाईश का मक़सद भी अल्लाह की इबादत के लिए दावत देना था जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

और निःसन्देह हमने हर उम्मत की ओर रसूल भेजा ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो और ग़ैर अल्लाह की इबादत से बचो। (अन-नहल-३६)

ये सभी चीज़ें मालूम हो जाने के बाद एक मुसलमान को कैसे शोभा देता है कि वह क़ुरआन करीम और रसूलों के तरीक़े के

ख़िलाफ़ अक़ीदा अपनाये।

२. यह कहना कि अल्लाह तआला ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी पैदा किया और फिर उससे दूसरी चीज़ें पैदा की। यह भी ऐसा गुमराह करने वाला अक़ीदा है जिसकी कोई दलील नहीं। आश्चर्य यह है कि इस क़िस्म की बातों का उल्लेख मिस्र के एक मशहूर आलिम मुहम्मद मुतवल्ली शाअरावी ने अपनी किताब (अन्त तस्अल वल-इस्लाम युजीब) में अन-नूर अल मुहम्मदी और बिदायतुल ख़लीक़ा शीर्षक से किया है।

प्रश्न: एक हदीस में आता है कि जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़िअल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी चीज़ सबसे पहले पैदा हुई। तो आप ने फ़रमाया कि ऐ जाबिर, 'तेरे नबी का नूर।' इस हदीस को इस सच्चाई से कैसे जोड़ा जा सकता है कि सबसे पहली मख़लूक़ आदम है और उनको मिट्टी से पैदा किया गया है ?

उत्तर : अल्लाह के कमाल और फ़ितरत की माँग यही है कि पहले सर्वश्रेष्ठ वस्तु पैदा की जाये उसके बाद उससे कमतर चीज़ पैदा की जाये और यह माकूल बात नहीं कि पहले तो मिट्टी का माद्दा पैदा किया जाये और उससे मुहम्मद को पैदा किया जाये। क्योंकि इंसानों में सर्वश्रेष्ठ अम्बिया हैं और सब रसूलों में सर्वश्रेष्ठ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। इसलिए यह असम्भव है कि पहले कोई द्रव पैदा करके उससे मुहम्मद को पैदा किया जाये उससे पता चला कि नूरे मोहम्मदी का पहले पाया जाना ज़रूरी है। जिससे दूसरी चीज़ों को पैदा किया जाये और हज़रत जाबिर की यह हदीस उसकी मिसाल है। इसी तरह विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि पहले नूर पैदा किया गया और फिर उससे

दूसरी चीज़ें पैदा हुई। (पृष्ठ : ३८)

शारावी का यह जवाब निम्नलिखित कारणों से मरदूद है :

१. यह अक़ीदा क़ुरआन करीम की उस आयत से टकराता है जिसमें अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

> ऐ (पैग़म्बर) जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूं। (स्वाद-७१)

आगे फ़रमाया है :

> (अल्लाह तआला) वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया उसके बाद नुतफ़ा (मनी) से पैदा किया। (ग़ाफ़िर-६७)

अल्लामा इब्ने जरीर तबरी उसकी व्याख्या करते हुए फ़रमाते है। अल्लाह तआला ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया उसके बाद तुमको नुतफा से पैदा किया।

उसी तरह शारावी की यह बात उस हदीस के भी ख़िलाफ़ है जिसमें आप ने फ़रमाया। तुम सभी आदम से हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। (रवाहु अल-बज़ार व अलबानी की सहीहुल जामे ४४४४)

२. दूसरा यह कि शारावी का यह कथन कि फितरी तौर पर पहले श्रेष्ठ वस्तु पैदा होती है फिर उससे तुच्छ वस्तु प्राप्त होती है। यह भी क़ुरआन का विरोधी है। बल्कि यह शैतानी फ़लसफ़ा है जिसका क़ुरआन ने रद्द किया है। शैतान ने कहा था।

> कि मैं उस (आदम अलैहिस्सलाम) से बेहतर हूं क्योंकि मुझे तूने आगे से पैदा किया है जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया है। (स्वाद-७६)

अल्लामा इब्ने कसीर फ़रमाते हैं, शैतान ने बेहतर होने का दावा इसलिए किया था कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था और शैतान आग से पैदा हुआ था और उसके विचार में आग मिट्टी से बेहतर है।

उसी तरह अल्लामा इब्ने जरीर ने बयान किया है कि शैतान ने अपने रब से कहा कि मैं आदम (अलैहिस्सलाम) को सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। मुझे आपने आग से पैदा किया है और आदम (अलैहिस्सलाम) को मिट्टी से। और आग मिट्टी को जला देती है। इसलिए आग मिट्टी से बेहतर है और मैं आदम (अलैहिस्सलाम) से बेहतर हूँ।

जबकि बुद्धि एवं विवेक की माँग यही है कि किसी द्रव की रचना हुई हो फिर उससे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया हो और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और सन्तान से हैं जैसाकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया है।

मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ। (मुस्लिम)

३. तीसरा यह कि शारावी ने कहा है कि सबसे पहले नूरे मुहम्मदी का अस्तित्व में आना ज़रूरी है। यह ऐसा कथन है जिसकी कोई दलील नहीं। बल्कि क़ुरआन से साबित है कि इंसानों में सबसे पहले आदम और शेष मख़लूकों में अर्श के बाद सबसे पहले क़लम बनाया गया जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

सबसे पहले अल्लाह ने क़लम को पैदा किया। (तिरमिज़ी, अलबानी ने सहीह कहा)

जबकि नूर मुहम्मदी के दर्शन का क़ुरआन और सुन्नत या अक़्ल की

दृष्टि से कोई अस्तित्व ही नहीं। क़ुरआन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हैं कि वह लोगों को स्पष्ट कर दें।

> कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ केवल मुझ पर वह्य की जाती है। (अल-कहफ़-११०)

और फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने स्वंय फ़रमाया कि :

> मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। (अहमद, अलबानी ने सहीह कहा)

और यह भी प्रत्येक बुद्धिमान को मालूम है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने माता-पिता अब्दुल्लाह और आमिना से ऐसे ही जन्म लिया था जैसे अन्य लोग पैदा होते हैं। फिर आपके अपने दादा और चचा के यहाँ पालन-पोषण हुआ। इन बातों से यह साबित हो गया कि इंसानों में सबसे पहले पैदा होने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शेष मख़लूक़ों में सबसे पहले पैदा होने वाली चीज़ क़लम है। इसके साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली मख़लूक़ कहने वालों का भी खुले तौर पर रद् हो गया। और मालूम हुआ कि ऐसा अक़ीदा क़ुरआन और रसूल के विरोध में है।

हालांकि कुछ ऐसी हदीसें मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आख़िरी नबी होना लिखा हुआ था। जैसाकि आप फ़रमाते हैं :

> आदम अभी तक गूँधी हुई मिट्टी में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे आख़िरी नबी होना लिख दिया। (सही अल-हाकिम व अलबानी)

अतएव इस हदीस में आप ने फ़रमाया है कि अल्लाह ने मेरा आख़िरी नबी होना लिख दिया था, यह नहीं फ़रमाया कि मुझे पैदा किया था।

उसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> आदम अभी तक रूह और शरीर के बिचली अवस्था में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना दिया था। (अहमद-सहीह)

इससे भी यही अभिप्राय है कि अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना उसी समय तय कर दिया था।

परन्तु वह हदीस जिस में है :

> मैं नबियों में सबसे पहले पैदा होने वाला और सबसे अन्त में आने वाला हूं।

तो यह हदीस सही नहीं है। क्योंकि इसे अल्लामा इब्ने कसीर, मुनावी और अलवानी ने कमज़ोर क़रार दिया है।

इसके साथ-साथ यह हदीस क़ुरआन और अन्य हदीसों के ख़िलाफ़ होने के अलावा बुद्धि और विवेक के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर पैदा नहीं हुआ।

४. शारावी का कहना है कि नूर मुहम्मदी से दूसरी सभी चीज़ें पैदा हुई और सब चीज़ों में आदम अलैहिस्सलाम, शैतान, इंसान, जिन्न, हैवानात, किटाणु और जरासीम आदि भी शामिल हैं। तो शारावी के इस कथन की मांग तो यही हुई कि उपरोक्त सभी चीज़ें भी नूर से पैदा हुई हैं। हालांकि यह बात क़ुरआन के विरूद्ध

है जिससे यह मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और शैतान को आग से पैदा किया गया और इंसान की पैदाईश 'मनी' की बूंद से हुई।

इसी तरह शारावी की यह बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के भी ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

> फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम (अलैहिस्सलाम) को जैसे उसका उल्लेख हो चुका है वैसे (यानी मिट्टी से) पैदा किया गया। (मुस्लिम)

इस तरह यह बात बुद्धि और विवेक के भी विरूद्ध है क्योंकि इंसान और हैवान तनासुल व तवालुद के ज़रिया पैदा होते हैं।

और यदि दुष्ट कीटाणु और मूज़ी जीव भी नूर मोहम्मदी से पैदा हुए हैं तो हम उन्हें मारते क्यों हैं बल्कि हमको उनमें से सांप अजगर, छिपकली, मच्छर और गिरगिट को उनके दुष्ट होने की वजहसे मारने का आदेश दिया गया है।

५. फिर शारावी ने हज़रत जाबिर की ओर मंसूब हदीस को अपने उस कथन की दलील बनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

ऐ जाबिर ! सबसे पहले तेरे नबी का नूर पैदा किया गया।

तो मालूम होना चाहिए कि यह हदीस नहीं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर मंसूब किया जाने वाला झूठ है और शारावी के दावे की दलील कदापि नहीं हो सकती। उसके साथ-साथ उन क़ुरआनी आयतों के भी मुख़ालिफ़ है जिनमें अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि इंसानों में हज़रत आदम सबसे पहली

मख़लूक़ और बाक़ी चीज़ों में क़लम सबसे पहले पैदा किया गया है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सन्तानों में से है। बल्कि क़ुरआन की ज़बानी वह हमारी ही तरह इंसान हैं अलवत्ता अल्लाह ने उनको नबूअत और वह्य से नवाज़ा है। अतएव वह नूर नहीं बल्कि शेष इंसानों की तरह एक इंसान हैं। और सहाबियों ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशर की हैसियत से जाना है न कि नूर होने की हैसियत से।

और जिस हदीस को शारावी ने सही कहा है वह मुहद्दिसीन के नज़दीक ग़लत, झूठ और गढ़ी हुई है।

६. गुमराह करने वाले अक़ीदों में से कुछ सूफ़ियों का यह कथन भी है कि समस्त वस्तुयें अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कीं। अतएव शारावी अपनी किताब में लिखते है कि जब हम को यह मालूम हो गया कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें अपने नूर से पैदा की और यह सही है तो उसका मतलब यह हुआ कि नूर की किरणों से सारी भौतिक अस्तित्व में आयीं।

यह भी ऐसी ही वेहूदा बात है जिसकी क़ुरआन और सुन्नत से और विवेकपूर्ण दलील नहीं। पहले इस बात का बयान हो चुका है कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, शैतान को आगे से, और इंसानों को नुतफ़ा (मनी) से पैदा किया है।

इतना ही समझ लेना शारावी की इस बात को रद्द करने के लिए काफ़ी है।

दूसरा यह कि शारावी की ये बातें आपस में टकराती हैं। पहले तो वह यह कह रहे थे कि सभी चीज़ें नूरे मोहम्मदी से पैदा की गयी

हैं और यहां यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने तमाम चीज़ें अपने नूर से पैदा कीं। हालांकि अल्लाह तआला के नूर और नूरे मोहम्मदी में बहुत अन्तर है।

फिर यह कि अल्लाह के नूर से पैदा होने वाली चीज़ों में सांप, बिच्छू, बन्दर और सुअर आदि भी सम्मिलित हैं क्योंकि शारावी का कहना है कि सभी चीजें अल्लाह के नूर सैं पैदा हुई हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर उन मूज़ी (दुष्ट) जानवरों को हम क्यों मारते हैं।

मुसलमान भाईयो ! आप सोचिये। कहीं आप में ऐसे गुमराह करने वाले अक़ीदे तो नहीं आ गये हैं। यदि कहीं इस क़िस्म की बीमारियों में घिर चुके हैं तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये ऐसे गुमराह करने वाले अक़ीदे हैं जिन से इंसान इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। और कुफ्र के दायरे में दाख़िल हो जाता है। (अल्लाह तआला हमें और आप को हिदायत नसीब फ़रमाये। आमीन

या अल्लाह हमें हक़ बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ प्रदान कर और बातिल को वातिल समझकर उससे बचने की तौफ़ीक़ दे और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता कर।

आमीन या रब्बल आलमीन

أركان الإسلام والإيمان
في ضوء الكتاب والسنة

إعداد
محمد بن جميل زينو
(المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة)

ترجمة
إلى اللغة الهندية
رضاء الرحمن أنصاري

تصحيح ومراجعة
محمد طاهر حنيف

تشرف بإعداد هذا الكتاب وترجمته
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة حوطة بني تميم
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة و الإرشاد
حوطة بني تميم ١١٩٤١ ص.ب ٢٦١ الشارع العام بجوار جامع آل ثاني
هاتف: ٠١/٥٥٥٠٥٣٣ ناسوخ: ٠١/٥٥٥٢٧٤٥

مطبعة النرجس- ت: ٢٣١٦٦٥٣ ف: ٢٣١٦٨٦٦

ردمك: ٧-٢-٩٢٣٨-٩٩٦٠